लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

..MMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd LOK SABHA DEBATES

Gazettes & Debates U...
Parliament Library Buil...
Room No. FB-025
Block 'G'

तृतीय माला

Third Series

खण्ड २८, १९६४/१८८६ (शक)

Volume XXVIII, 1964/1886 (Saka)

[२१ मार्च से २ अप्रेल, १९६४/१ चैत्र से १३ चैत्र, १८८६ (शक)]

[March 21 to April 2, 1964/Chaitra 1 to 13, 1886 (Saka)]

Preservation Unit
Fumigated
On 14.12.83
Parliament Library

सातवां सत्र, १९६४/१८८५-८६ (शक)

Seventh Session, 1964/1885-86 (Saka)

(खण्ड २८ में अंक ३१ से ४० तक हैं)

(Vol. XXVIII contains Nos. 31 to 40)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

LOK SHABA SECRETARIAT
NEW DELHI

विषय-सूची

अंक ३२—सोमवार, २३ मार्च, १९६४/३ चैत्र, १८८६ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	२४४७—७०
***तारांकित प्रश्न संख्या**	
६९३ नेपाल में हवाई अड्डे	२४४७-४८
६९४ जोर्डन नदी पानी विवाद	२४४९—५०
६९६ अन्दमान नौसैनिक अड्डा	२४५१—५२
६९८ अखबारी कागज़ में चोरबाजारी	२४५२—५६
७०० सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड	२४५६—५८
७०१ पिन्डी-पीकिंग सड़क	२४५८—६३
७०२ नेफा और लद्दाख में मारे गये सैनिक	२४६३—६६
७०३ पाकिस्तान के लिये अमरीकी पनडुब्बी	२४६६—६९
७०४ संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना दल	२४७०
प्रश्नों के लिखित उत्तर	२४७१—९२
तारांकित प्रश्न संख्या	
६९५ बर्मा से भारतीय राष्ट्रजन का निष्कासन	२४७१
६९७ भारतीय वायु सेना के विमान की दुर्घटना	२४७१
६९९ नौसैनिक अभ्यास	२४७१—७२
७०५ "सुपरसोनिक" लड़ाकू विमान	२४७२
७०६ तारापुर अणुशक्ति संयंत्र	२४७२—७३
७०७ श्री तारिक अब्दुल्ला का पत्र	२४७३
७०८ पाकिस्तान हेलीकाप्टर दुर्घटना	२४७३—७४
७०९ जम्मू तथा काश्मीर में पाकिस्तान द्वारा गोली चलाना	२४७४
७१० पूर्व अफ्रीका के समाचार-पत्र में प्रकाशित बख्शी गुलाम मुहम्मद का कथित पत्र	२४७४—७५
७११ पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत भारतीय	२४७५

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 32—Monday, March 23, 1964/Chaitra 3, 1886 (Saka).

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	Subject	2447—70 PAGES
*Starred Question Nos.		
693	Airports in Nepal	2447-48
694	Jordan River Water Dispute . .	2449-50
696	Andamans Naval Base	2451-52
698	Black Market in Newsprint	2452—56
700	Soldiers', Sailors' and Airmen's Boards . .	2456—58
701	Pindi-Peking Highway	2458—63
702	Military Personnel killed in NEFA and Ladakh .	2463—66
703	U.S. Submarine for Pakistan	2466—69
304	U.N. Peace-keeping Force . .	2470

Written Answers to Questions		2471—92
Starred Question Nos.		
695	Deportation of Indian National from Burma . .	2471
697	I.A.F. Plane Aircrash	2471
699	Naval Exercises . . .	2471-72
705	Supersonic Fighters . . .	2472
706	Tarapur Atomic Plant	2472-73
707	Letter of Shri Tariq Abdullah	2473
708	Pakistan Helicopter Incident .	2473-74
709	Firing by Pakistanis in J & K	2474
710	Alleged Letter from Bakshi Ghulam Mohammed in East African Paper	2474-75
711	Indians kidnapped by Pakistanis	2475

*The sign + marked above the name of a member indicates that the Questions was actually asked on the floor of the House by that Member.

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर (जारी)		
७१२	राकेट का छोड़ा जाना	२४७५
७१३	आकाशवाणी के लिये नया ट्रांसमिटर	२४७६
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१३७९	उड़ीसा में तिब्बती शरणार्थियों को बसाना	२४७६
१३८०	जैपुर में ट्रांसमीटर	२४७६
१३८१	उड़ीसा के कामदिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति	२४७६—७७
१३८२	आन्ध्र में बेरोजगार तकनीकी कर्मचारी	२४७७
१३८३	ब्रिटेन में भारतीय	२४७७
१३८४	आकाशवाणी से हिन्दी की शिक्षा	२४७७—७८
१३८५	सिरसा में विमान क्षेत्र	२४७८
१३८६	बागान श्रमिकों के लिये मकान	२४७८—७९
१३८७	गाजियाबाद के निकट हवाई अड्डा	२४७९
१३८८	हज यात्री	२४७९—८०
१३८९	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संघ संगठन	२४८०
१३९०	बर्मा में भारतीय	२४८०—८१
१३९१	कोयला खान श्रमिकों के लिये मकान	२४८१—८२
१३९२	केन्द्रीय श्रम सेवा	२४८२
१३९३	५०५ केन्द्रीय ई० एम० ई० वर्कशाप, दिल्ली छावनी में चोरी	२४८२
१३९४	वार्ता निकाय	२४८२—८३
१३९५	५०५ इ० एम०ई० वर्कशाप, दिल्ली छावनी में उचित मूल्य वाली दूकानें	२४८३
१३९६	पोखरा जल विद्युत परियोजना	२४८३—८४
१३९७	काली पहाड़ी में न्यू घुरिक कोलियरी	२४८४
१३९८	रोजगार तथा प्रशिक्षण	२४८४—८५
१३९९	सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी में भविष्य निधि वसूलियां	२४८५
१४००	आकाशवाणी के समाचार विभाग के पत्रकार	२४८५
१४०१	विदेशों के साथ संधियां	२४८५—८६
१४०२	विदेशो में भारतीय राजदूत	२४८६
१४०३	सशस्त्र सेना मुख्य कार्यालाय में अपर डिवीजन क्लर्क	२४८६
१४०४	भूटान की पंचवर्षीय योजना	२४८७
१४०५	नगर हवेली में प्राथमिक स्कूल	२४८७—८८
१४०६	उड़ीसा में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में रिक्त स्थान	२४८८
१४०७	बिहार में बेरोजगार महिलायें	२४८८—८९

Written Answers to Questions—*Contd.*

Starred Question No.	Subject	PAGE
712	Rocket Launching	2475
713	New Transmitter for A.I.R.	2476
Unstarred Question Nos.		
1379	Settlement of Tibetan Regugees in Orissa . .	2476
1380	Transmitter at Jeypore	2476
1381	S.C. and S.T. on Orissa Employment Exchanges .	2476–77
1382	Unemployed Technical Personnel in Andhra . .	2477
1383	Indians in U.K.	2477
1384	Teaching of Hindi through A.I.R. . . .	2477–78
1385	Airfield at Sirsa	2478
1386	Houses for Plantation Workers	2478–79
1387	Aerodrome near Ghaziadbad	2479
1388	Haj Pilgrims	2479–80
1389	International Trade Union Organisations . .	2480
1390	Indians in Burma	2480–81
1391	Housing for Coal Mines Labour	2481–82
1392	Central Labour Service	2482
1393	Theft in 505 EMB Workshop, Delhi Cantt. . .	2482
1394	Negotiating Machinery	2482–83
1395	Fair price Shop in 505 EME Workshop, Delhi Cantt.	2483
1396	Pokhra Hydel Project	2483–84
1397	New Ghurick Colliery in Kalipahari . . .	2484
1398	Employment and Training	2484-85
1399	Provident Fund Recoveries at Singareni Collieries Company	2485
1400	Journalists of the News Division of A.I.R. . .	2485
1401	Treaties with Foreign Countries	2485–86
1402	Indian Envoys Abroad	2486
1403	U.D.Cs. in Armed Forces Headquarters . .	2486
1404	Bhutan's Five Year Plan	2487
1405	Primary schools in Nagar-Haveli	2487–88
1406	Vacancies in Public and Private Sectors in Orissa .	2488
1407	Unemployed Women in Bihar	2488 89

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१४०८ गुलबर्गा में आकाशवाणी का केन्द्र २४८६
१४०९ "सैनिक समाचार" २४८९--९०
१४१० पंजीबद्ध बेरोजगार . . २४९०
१४११ अमरीका में भारतीय दूतावास . . २४९१
१४१२ प्रतिरक्षा मंत्रालय में समितियां . २४९१
१४१३ रिक्त स्थानों की अनिवार्या अधिसूचना . . . २४९२
१४१४ पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायु सेना के विमानों को गलत रास्ता बताया जाना . . २४९२

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं और स्थगन प्रस्तावों के बारे में . . २४९३--९५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . २४९६--९७

पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश में हुई हिंसा की घटनायें

श्री हेम बरूआ २४९६
श्री नन्दा . २४९६--९७

सभा पटल पर रखे गये पत्र २४९७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . २४९७--९८

गेहूं के क्षेत्र के निर्माण के बारे में वक्तव्य २४९८

श्री स्वर्ण सिंह . . . २४९८--२५००

बाट तथा माप के प्रमाप (संशोधन) विधेयक---पुरस्थापित . . २५००--०१

अनुदानों की मांगें २५०१--२०

प्रतिरक्षा मंत्रालय . . २५०१--०६

श्री यशवन्तराव चह्वाण . . २५०१--०६

परिवहन मंत्रालय : २५०७--२०
श्री मी० रु० मसानी . २५०७--१३
श्री रघुनाथ सिंह . २५१३--१४
श्री दाजी . . २५१४--१६
श्री स० चं० सामन्त . २५१६--१७
श्री बृजराज सिंह कोटा . . . २५१७
श्री ओंकार लाल बेरवा . . २५१७--१८
श्री टे० सुब्रह्मण्यम . २५१८--१९
श्री जसवन्त मेहता . २५१९--२०
श्री श्रीनारायण दास . . २५२०

Written Answers to Questions—*Contd.*

Unstarred Questions No.	Subject	PAGE
1408	A.I.R. Station at Gulbarga	2489
1409	Sainik Samachar	2489-90
1410	Registered Unemployed	2490
1411	Indian Chancery in U.S.A.	2491
1412	Committees in Ministry of Defence	2491
1413	Compulsory Notification of Vacancies	2492
1414	Mis-directions to I.A.F. Planes by Pakistan	2492

Re: Calling Attention Notices and Motions for Adjournment . . . 2493—95

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . . 2496-97

Incidents of violence in West Bengal, Orissa, Bihar and Madhya Pradesh

Shri Hem Barua . . . 2496

Shri Nanda . . . 2496-97

Papers laid on the Table . . . 2497

President's assent to Bills . . . 2497-98

Statement *re*: creation of wheat zones . . . 2498

Shri Swaran Singh . . . 2498—2500

Standards of Weights and Measures (Amendment) Bill—introduced . . . 2500-01

Demands for Grants . . . 2500—20

Ministry of Defence . . . 2501—06

Shri Y. B. Cahavan . . . 2501—06

Ministry of Transport . . . 2507—20

Shri N. R. Masani . . . 2507—13

Shri Raghunath Singh . . . 2513-14

Shri Daji . . . 2514—16

Shri S. C. Samanta . . . 2516-17

Shri Brij Raj Singh Kotah . . . 2517

Shri Onkar Lal Berwa . . . 2517-18

Shri T. Subramanyam . . . 2518-19

Shri Jashvant Mehta . . . 2519-20

Shri Shree Narayan Das . . . 2520

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hinid]

212 (Ai) LS—1.

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, २३ मार्च, १९६४/३ चैत्र, १८८६ (शक)

Monday, March 23, 1964/Chaitra 3, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKERS *in the Chair.*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

नेपाल में हवाई अड्डे

\+

*९९३. **श्री विश्वनाथ राय :**
श्री बाल कृष्ण सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में कुछ हवाई अड्डे बनाने के लिये भारत और नेपाल के बीच किसी प्रस्ताव को अतिन्म रूप दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) शीघ्र ही एक औपचारिक करार पर हस्ताक्षर होने की संभावना है ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या मैं जान सकता हूं कि जो प्रस्ताव पहले ही किये जा चुके हैं उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : पांच हवाई अड्डे बनाने तथा एक अन्य हवाई अड्डे पर, जिसका नाम गोचर है, थोड़ा बहुत काम करने का प्रस्ताव है । गोचर में तो हैंगर बनाया जाना है तथा अन्य पांच हवाई अड्डों को फिर से बनाना है तथा वहां सभी आवश्यक सुविधायें दी जानी हैं ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या नेपाल में बनाये जाने वाले हवाई अड्डों के इस्तेमाल के बारे में भारत सरकार को किसी तरह की सुविधा मिलेगी ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : अवश्य, हवाई अड्डों के प्रयोग तथा उनके इस्तेमाल की सुविधा करार की शर्तों द्वारा तय किया जायेगा ।

Dr. Govind Das : Who would bear the expenses of these airports—the Govt. of India or the Govt. of Nepal ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह उस सहायता का भाग है जो भारत सहायता समझौते के अन्तर्गत नेपाल को देता है ।

श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या इन हवाई अड्डों का सैनिक तथा असैनिक दोनों तरह का इस्तेमाल होगा तथा क्या भारतीय वायुसेना भी इनका प्रयोग कर सकती है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह सब करार पर निर्भर करेगा । करार के लिये बातचीत चल रही है ।

श्री बासप्पा : इन हवाई अड्डों को बनाने पर कुल कितनी लागत आयेगी और क्या इसे बांटा जायेगा; यदि हां, तो किस अनुपात में ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : हवाई अड्डों पर ६४·१६ लाख तथा गोचर में हैंगर बनाने पर ४·६४ लाख रुपये की लागत आयेगी ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या नेपाल भी इसमें से कुछ देगा ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन: माननीय सदस्य जानते हैं कि हम नेपाल को करोड़ों रुपये की सहायता दे रहे हैं ।

Shri Yashpal Singh : Has it come to the notice of the Govt. that the Nepal Govt. is entering into a similar agreement with another country also ?

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या नेपाल इसी तरह का समझौता किसी और देश से भी कर रहा है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इस प्रयोजन के लिए ? जी नहीं ।

Shri Vishram Prasad : Has the Govt. of India persuaded the Govt. of Nepal that in case of war with China we can use this airport ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैं पहले ही कह चुकी हूं कि ये सारी चीजें करार में आयेंगी ।

Shri Vishwanath Pandey : Would these airports which are being built in Nepal with India's aid, be visited by the planes of Pakistan and China ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इसका फैसला करना नेपाल सरकार का काम है ।

जोर्डन नदी पानी विवाद

+

*६६४. { श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरब देशों के प्रतिनिधियों ने जोर्डन नदी के पानी का प्रयोग सम्बन्धी विवाद उन्हें निर्दिष्ट किया है; और

(ख) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या इस बारे में अरब देशों को सूचित कर दिया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) नई दिल्ली में स्थित आठ अरब देशों के राजदूत इजराइल द्वारा जोर्डन नदी के जल प्रवाह को बदलने से उत्पन्न हो सकने वाली स्थिति का परिचय देने के लिये अपने ही अनुरोध पर ४ जनवरी, १९६४ को प्रधान मंत्री से मिले ।

(ख) प्रधान मंत्री ने राजपूतों को बताया कि पहले की तरह हमारी सहानुभूति अरब देशों के साथ है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : विशेषत: १९४७ में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत विभाजन योजना के संदर्भ में क्या मैं जान सकता हूं कि इजराइल की इस कार्यवाही की, जिससे यह सारी मुसीबत खड़ी हुई है, उपपत्तियां क्या हैं और अरब देशों पर इसका क्या प्रभाव हुआ है ?

श्री दिनेश सिंह : मुझे डर है कि यह प्रश्न बड़ा विस्तत है जिसका थोड़े समय में उत्तर देना सम्भव नहीं होगा । बात तो सारी यह है कि इजराइल लेक टिबरस से कुछ पानी लेकर उसे नेगेव रेगिस्तान में ले जाना चाहता है । इससे झील के पानी की गहराई कम हो जायेगी और जोर्डन की ओर नदी के प्रवाह पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया । मैं जानना चाहता था कि क्या यह संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना के विपरीत है या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने कहा है कि यह बड़ा लम्बा मामला है जिसका अब उत्तर देना सम्भव नहीं होगा ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह विभाजन योजना के विपरीत है या नहीं । 'हां' या 'न' में इसका उत्तर दिया जा सकता है । परन्तु यदि आप समझते हैं कि बड़ा लम्बा मामला है तो मुझ कुछ नहीं कहना है ।

श्री दिनेश सिंह : विभाजन योजना में पानी के इस तरह बांटे जाने की पूर्वकल्पना नहीं की गई थी । यह एक ऐसा मामला है जिस पर कई लोगों ने समय समय पर बातचीत की है परन्तु कोई समझौता नहीं हो पाया है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : काहिरा में सभी अरब राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन के बाद अब क्या रुझान है ? इसके परिणामस्वरूप आगे और क्या विकास हुआ है ?

श्री दिनेश सिंह : सम्मेलन के बाद एक विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि सबसे पहले उन्हें इस समस्या के शान्तिपूर्ण निबटारे के लिये प्रत्येक संभव उपाय करना चाहिये ।

श्री हरि विष्णु कामत : अरब देशों के अतिरिक्त क्या इजराइली सरकार ने अथवा भारत में इजराइल के प्रतिनिधि ने इस सम्बन्ध में सरकार से कुछ कहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने पश्चिम एशिया में शान्ति बनाये रखने के हित में यहां अरब राष्ट्रों के प्रतिनिधियों तथा इजराइल के प्रतिनिधि को परामर्श दिया है कि वे आपसी बातचीत द्वारा अथवा संयुक्त राष्ट्र की सहायता से समझौता करने का प्रयास करें ?

श्री दिनेश सिंह : इजराइल सरकार ने भी अपना दृष्टिकोण बताया था । जैसा कि मैंने कहा, हम सब को आशा है कि इस समस्या का शान्तिपूर्ण हल हो जायेगा ।

श्री दाजी : मुझे विश्वास है कि सरकार इस बात को जानती है कि इस विवाद से उस क्षेत्र में युद्ध छिड़ सकता है । इसे देखते हुए इस विवाद के बारे में सरकार की अपनी राय क्या है तथा क्या सरकार ने विश्व की अन्य महत्वपूर्ण सरकारों को इसकी सूचना दी है ताकि विवाद का शान्ति से समाधान हो सके ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल में राय नहीं पूछी जा सकती ।

श्री दाजी : क्या सरकार ने संसार की अन्य सरकारों को अपनी राय प्रेषित कर दी है ताकि युद्ध को छिड़ने से रोका जा सके ?

श्री दिनेश सिंह : अपने विचारों को बताना आवश्यक नहीं हुआ है ।

श्री हेम बरुआ : इस बात को देखते हुए कि जोर्डन के पानी की समस्या पर चर्चा करने के लिये राष्ट्रपति नासिर द्वारा बुलाये गये अरब शिखर सम्मेलन ने इजराइल-विरोधी कड़ा रवैया अपना लिया है जिससे उस क्षेत्र में युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है, क्या सरकार ने विश्व शान्ति के हित में इस विशेष समस्या का निरीक्षण किया है और क्या उसका विचार इस बारे में विशिष्ट योगदान देने का है ?

श्री दिनेश सिंह: मैं नहीं जानता कि उनका अभिप्राय किस योगदान से है . . .

श्री हेम बरुआ : शान्ति का योगदान ।

श्री दिनेश सिंह: . . . . परन्तु यह एक ऐसा मामला है जिसे अरब देशों तथा इजराइल के बीच सुलझाया जाना है और इस प्रक्रम पर इसमें हस्तक्षेप करना हमारे लिये वांछनीय नहीं होगा ।

श्री हेम बरुआ : दोनों पक्षों ने हमारी सरकार से अनुरोध किया है . . .

अध्यक्ष महोदय : हम इससे आगे कुछ नहीं कर सकते । अगला प्रश्न ।

अन्दमान नौसैनिक अड्डा

+

*६९६. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री सं० चं० सामन्त :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान में पोर्ट ब्लेयर में नौसैनिक सुविधाओं का विकास किया गया है;

(ख) क्या यह प्रशिक्षण अड्डा होगा अथवा पूर्णरूपेण नौसैनिक अड्डा होगा; और

(ग) क्या पूर्वी तट पर, विशेषकर पश्चिम बंगाल और उडीसा के तट पर, भी ऐसा अड्डा आवश्यक है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) जी हां । एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार इन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है ।

(ख) यह एक सक्रिया अड्डे के रूप में काम करेगा ।

(ग) सरकार ने विशाखापटनम में एक अड्डे तथा गोदी की स्थापना की परियोजना को एक उचित निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार क्रियान्वित करना सिद्धान्त रूप में मान लिया है । पूर्वी तट पर एक और अड्डा इस समय आवश्यक नहीं समझा जाता है ।

श्री सुबोध हंसदा: एसे कौन से लाभ हैं जिनके लिये अन्दमान को इस नौसैनिक अड्डे के लिये चुना गया है यद्यपि वह मुख्य भूमि से काफी दूर है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): प्रशिक्षण तथा पूर्वी तट की सुरक्षा के लिए इसे आवश्यक समझा गया था ।

श्री सुबोध हंसदा : इसे प्रमुख अड्डा बनाने में कितना समय लगेगा ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह धीरे धीरे होने वाला काम है । मैं पहले से ही नहीं बता सकता कि कितना समय आवश्यक होगा ।

श्री सं० चं० सामन्त : क्या पोर्ट ब्लेयर का यह संस्थापन अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों के आस पास का जल माप सर्वेक्षण करेगा और यदि हां, तो क्या एक नौसैनिक गैरिसन की आवश्यकता होगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस समय तो नहीं ।

Shri Vishram Prasad : So far as I know, all the warships are now outmoded. I want to know why Government is paying no attention towards this when there is danger from Pakistan and China.

Mr. Speaker : That is altogether a different question.

श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या इस अड्डे को भारतीय समुद्र क्षेत्र की प्रतिरक्षा के लिये तैयार करने के प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : काम तो आरम्भ कर दिया है परन्तु यह कहना कुछ कठिन है कि यह सारे हिन्द महासागर के लिए प्रतिरक्षा आधार बन सकेगा या नहीं ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के एक मंत्री द्वारा रावलपिंडी में उन की नेशनल असेम्बली में दिये गये वक्तव्य की ओर गया है कि उन्होंने पोट ब्लेयर में नौसैनिक अड्डा बनाने का विरोध किया है तथा क्या सरकार को इस का कुछ पता है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी नहीं ।

श्री हिम्मतसिंहजी : क्या हम स्वयं ही इस अड्डे को बनायेंगे या किन्हीं अन्य देशों की सहायता लेने का विचार है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : स्वयं ही । यह हमारा अपना अड्डा है और इसे हम स्वयं बनायेंगे ।

Black Market in Newsprint

***698. Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that black marketing in newsprint is going on on a large scale; and

(b) if so, the causes thereof and the steps taken to check it ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Sham Nath) : (a) No, Sir. Complaints have, however, been received regarding alleged black-marketing in newsprint by some periodicals and newspapers.

(b) The basic cause is apparently the inadequacy of newsprint to meet fully the demand for it and this is taken advantage of by some newspapers who obtain newsprint by inflated claims of their circulation figures.

Newsprint for newspapers, whose circulation figures are in doubt or against whom complaints are received, is allotted after strict scrutiny and the quota is readjusted to meet their actual requirements assessed on the basis of verified circulation. The verification of circulation figures of newspapers has been intensified. Other administrative measures have also been taken with a view to lessen the evil of blackmarketing in newsprint.

Shri Sidheshwar Prasad : What are the steps taken so far to check blackmarketing in newsprint and to what extent success has been achieved ?

Shri Sham Nath : Firstly, we have intensified the periodic checking of the circulation of newspapers. Secondly, we are strengthening the teams which go to check the circulation figures. Thirdly, more responsibilities are being entrusted to the Chartered Accountants whose certificate is obtained by the newspapers. Fourthly, we are asking the newspapers to furnish more detailed information to us. There is another proposal that the permission of the Finance Ministry may be sought to associate the income-tax officers with this inquiry.

Shri Sidheshwar Prasad : How many and which newspapers have so far been apprehended for blackmarketing and what action has been taken against them ?

Shri Sham Nath : The report issued in 1963 gives the figures for the year 1962.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मैं जान सकता हूं कि पिछले दो वर्षों में समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में कितनी वृद्धि हुई है तथा क्या अखबारी कागज का संभरण इस वृद्धि के अनुसार होता रहा है ;

यदि नहीं, तो क्यों नहीं और समाचारपत्रों को सफेद कागज का प्रयोग करने के लिये क्यों बाध्य किया जाता है ?

श्री श्याम नाथ : समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है परन्तु मेरे पास इस के आंकड़े नहीं हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : प्रश्न यह है कि क्या संभरण उतना हुआ है ।

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह): मैं माननीय सदस्य को सूचना देना चाहता हूं कि दो वर्षों में कुछेक पत्रिकाओं का परिचालन दुगुना हो गया है ।

श्री हरि विष्णु कामत : कुछेक पत्रिकायें ?

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या संभरण उतना ही हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : यह संगत नहीं है । हम अखबारी कागज पर चर्चा कर रहे हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या अखबारी कागज का संभरण पत्रिकाओं की संख्या में वृद्धि के बराबर रहा है---यह मुख्य प्रश्न है---और क्या समाचारपत्रों को सफेद कागज बरतने पर विवश किया जाता है, यदि हां, तो क्यों ?

श्री सत्यनारायण सिंह : केवल इसलिये कि अखबारी कागज की कमी है और जब तक हमारे पास काफी विदेशी मुद्रा न हो हम अखबारी कागज प्राप्त नहीं कर सकते । देश के अन्दर अखबारी कागज का उत्पादन केवल ३०,००० टन है । नेपा का माननीय सदस्य को पता होगा । और कोई कारखाना नहीं है । बाहर से हमें अखबारी कागज मंगवाना होगा । इस के लिये विदेशी मुद्रा चाहिये । जितना उपलब्ध है उतना हम लेते हैं और माननीय सदस्य तथा सभा को ज्ञात है कि इसी लिये छोटे बड़े सभी समाचारपत्र शिकायत कर रहे हैं कि अपना परिचलन बनाये रखने के लिये उन्हें काफी अखबारी कागज नहीं मिल रहा है ।

श्री त्यागी : क्या सरकार के ध्यान में ऐसे उदाहरण आये हैं कि अखबारी कागज में चोर बाजारी करने की बजाय समाचारपत्रों ने अपनी परिचलन संख्या से अधिक प्रतियां छापी हैं और उन्हें रद्दी के रूप में बाजार में बेचा है क्योंकि उस से भी लाभ होता है ?

श्री सत्यनारायण सिंह : आप का मतलब है छपाई का सफेद कागज ।

अध्यक्ष महोदय : वे अनावश्यक रूप से जरुरत से ज्यादा छाप लेते हैं । और फिर रद्दी बना कर बेचते हैं ।

श्री त्यागी : वे अपने परिचलन से ज्यादा छापते हैं और रद्दी के रूप में उसे बेच कर लाभ कमाते हैं ।

श्री सत्यनारायण सिंह : हम ने इस बारे में नहीं सुना है । मैं अवश्य इस की जांच करवाना चाहूंगा ।

Dr. Govind Das : Is it a fact that some of the well established newspapers do not sometimes get newsprint because the English newspapers get more newsprint than those published in Indian languages ?

Shri Satya Narayan Sinha : I had stated the other day that there are a few English newspapers which get sufficient newsprint but the hon. Member must know that others also, whose circulation is fairly large; get newsprint in accordance with the figures of their circulation. We have not made any specific discrimination between English and Hindi newspapers.

Shri Kamalnaayn Bajaj : Are any big newspapers involved in the blackmarketing in newsprint ? If so, would Govt. disclose their names so that this malpractice may be checked ?

Shri Satya Narayan Sinha : It goes without saying that blackmarketing cannot go on on a large scale if big people are not involved in it. The black-marketing by small people does not come to light. Attempts are being made to check blackmarketing. As has been mentioned, we are going to strengthen the Inspectorate for checking. The State Governments have also been requested to convey whatever information they might have in this regard. The special Police of the Home Ministry has been asked to keep a watch. The Finance Ministry has been kind enough to allow its income-tax officers in districts to help us in this matter. All those people big or small, who are caught in future would be given severe punishment.

श्री अ० प्र० जैन : एक औचित्य प्रश्न है। प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में कि क्या अखबारी कागज में चोरबाजारी बड़े पमाने पर हो रही है, माननीय उप मंत्री ने बताया कि "नहीं"। दूसरी ओर मंत्री महोदय अब कहते हैं : हां, यह बड़े पैमाने पर है क्योंकि इस में बड़े बड़ लोग शामिल हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह पढ़ें तो दोनों बातें एक ही हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : जैसा कि मंत्री महोदय के उत्तर से स्पष्ट है, वह स्थिति को सुधारने के लिये विभिन्न मंत्रालयों का सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। क्या मैं जान सकती हूं कि क्या स्थिति को सुधारने के लिये स्वयं यह मंत्रालय अखबारी कागज के आवंटन की कसौटी को बदलने का इरादा रखता है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : कसौटी का कोई सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जो लोग अखबारी कागज लेते हैं और ठीक से उस का इस्तेमाल नहीं करते वे इसे चोरबाजार में बेच देते हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : जी नहीं। क्योंकि आवंटन ठीक से नहीं किया गया है इसलिये किसी को उस की आवश्यकता से अधिक मिल जाता है। मेरा प्रश्न यह है।

अध्यक्ष महोदय : श्री नाथ पाई ।

श्री नाथ पाई : क्या यह सच है कि अवसर मिलने पर सभी तरह के अखबार, चाहे उनकी विचारधारा कुछ भी हो, अखबारी कागज में चोरबाजरी करते हैं और सरकार के कार्यवाही न करने का कारण यह है कि वह तथाकथित प्रगितिशील तथा तथाकथित एकाधिकारी समाचारपत्रों के बीच तटस्थ रहना चाहती है ।

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल नहीं उठता ।

श्री सत्यनारायण सिंह : इस में तटस्थता और गठजोड़ का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री नाथ पाई : अध्यक्ष महोदय, आप चाहें तो मैं साक्ष्य देने को तैयार हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : वह साक्ष्य दे सकते हैं परन्तु प्रश्न के उत्तर की जरूरत नहीं है ।

श्री नाथ पाई : उन्होंने कुछ व्याख्या की थी ।

अध्यक्ष महोदय : इस में आक्षेप है : सरकार तटस्थ क्यों रहती है, सभी विचारधाराओं वाले अखबारों द्वारा ऐसा किया गया है, इत्यादि । ऐसी कोई बात नहीं है जिस का उत्तर दिया जाए ।

श्री नाथ पाई : उत्तर क्या था ? उन्हों ने कहा कि कार्यवाही नहीं की जा सकती । **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : मैं ने प्रश्न को स्वीकार नहीं किया है इसलिये कोई उत्तर नहीं है । श्री विश्राम प्रसाद ।

Shri Vishram Prasad : On one hand Govt. wants to propagate Hindi and, on the other Hindi newspapers get very little newsprint. "Aaj' is a prominent Hindi paper which had to curtail its number of copies considerably because of the non-availability of newsprint. Would Govt. consider the question of giving more newsprint to Hindi papers ?

Mr. Speaker : He has already replied it.

Shri Vishram Prasad : It has not been replied.

Mr. Speaker : It has been.

Shri Ram Sewak Yadav : I would like to know whether any action has been taken against those newspapers which furnished wrong figures about their cirulation. Which are those papers and what action has been taken against them ?

Shri Satya Narain Sinha : The hon. Deputy Minister has just now given the information about those papers against whom action has been taken. Their names have been given in the report of the Registrar placed in the House. Those which have been caught have not yet been punished but two or three cases are pending and we are considering what to do.

Shri K. N. Tiwary : The hon. Minister has just now stated in his reply that there is shortage of newsprint in India and this leads to blackmarketing and there is no place besides NEPA where this material is available. Has any exploration work been done in this connection in Andamans and Nicobar where material fit for the manufacture of newsprint can be located so that blackmarketing in this field can be checked ?

Shri Satya Narain Sinha : I do not know the conditions there. Licences have been issued to three big firms. They have not yet started any work. We are looking into it why they have not started the work.

Shri Rameshwaranand : Which are the languages and scripts whose newspapers are given newsprint and what is the criteria for this allocation ?

Mr. Speaker : How this can be told.

Shri Rameshwaranand : Mr. Speaker some reply must be given to my question.

Mr. Speaker : I can say only this that a statement be laid here but the supplementaries cannot be answered so soon. In any case, a statement may be laid here.

श्री कोया : परिचलन के आंकड़ों का सत्यापन करने तथा यह जानने की सरकार के पास क्या व्यवस्था है कि जो आंकड़े बनाये गये हैं वे ठीक हैं या नहीं ?

श्री सत्यनारायण सिंह : मैं ने पहले ही बता दिया है कि निरीक्षण निदेशालय को बढ़ाया जा रहा है और इसलिये हम ने वित्त मंत्रालय, राज्य सरकारों तथा गृह-कार्य मंत्रालय की सहायता मांगी है। ये सारी बातें मैं ने बता दी हैं ।

सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड

+
*७००३. { **श्री रिशांग किशिंग :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड को शक्तिशाली बनाने तथा उस में सुधार करने के लिये कदम उठाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) अब तक उठाये गये कदम किस सीमा तक लागू कर दिये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिस में अपेक्षित जानकारी दी हुई है ।

विवरण

सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड संगठन को शक्तिशाली बनाने तथा इस में सुधार करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(१) राजस्थान में अलवर, सिक्कर, चूरू, तथा कोटा में और हिमाचल प्रदेश में, महासू में १९६३ में ५ नये सैनिक, नाविक तथा वैमानिक जिला बोर्ड स्थापित किये गये हैं।

(२) द्वितीय श्रेणी के तीन सैनिक, नाविक तथा वैमानिक जिला बोर्डों, अर्थात् आसाम में औजाल और शिलौंग के तथा मध्य प्रदेश में रीवा के बोर्डों, को प्रथम श्रेणी के बोर्ड बना दिया गया है ।

(३) भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण सम्बन्धी कार्य को करने के लिये प्रयोगात्मक आधार पर पंजाब, राजस्थान, मद्रास, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के राज्यों में कल्याण कर्मचारियों के ६१ पदों के लिये मंजूरी दे दी गई है ।

(४) राज्य सरकारों से यह कहा गया है कि वे राज्य बोर्डों के अंशकालिक अथवा पदेन सचिवों के स्थान पर पूर्णकालिक अधिकारियों की सचिवों के रूप में नियुक्ति करें और राज्य के जिला बोर्डों में सुधार भी करें। राज्य सरकारों ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है इस के लिये उन के उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(५) केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को की गई प्राथना के परिणामस्वरूप, आठ राज्यों और तीन संघ राज्य क्षेत्रों में, अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, आसाम,

बिहार, केरल, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा, सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड संगठन को स्थायी घोषित कर दिया गया है। गुजरात सरकार और दिल्ली प्रशासन ने प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया। शेष राज्य सरकारों से उन के अन्तिम उत्तरों के आने की प्रतीक्षा की जा रही है।

(६) बहुत से सैनिक, नाविक तथा वैमानिक जिला बोर्डों में, विशेष रूप से पंजाब और राजस्थान में जहां कि भरती भारी संख्या में होती है, अतिरिक्त कमचारियों को रखने के लिये मंजूरी दे दी गई है।

श्री रिशांग किशिंग : सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्डों को स्थायी बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को और संघ राज्य क्षेत्रों से कब प्रार्थना की थी और क्या राज्य सरकारों ने इस प्रार्थना को मानने में विलम्ब नहीं किया है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : बोर्ड के कर्मचारियों को स्थायी घोषित करने के सम्बन्ध में हम ने विभिन्न राज्यों को लिखा था अब तक आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, केरल, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मनीपुर, और हिमाचल प्रदेश राज्यों ने सैनिक, नाविक तथा वैमानिक जिला बोर्ड संगठनों को अपने अपने राज्य का स्थायी विभाग बना दिया है।

श्री रिशांग किशिंग : राज्य बोर्डों के सचिवों के रूप में पूर्ण-कालिक अधिकारियों की नियुक्ति करने में और राज्यों के जिला बोर्डों का सुधार करने की योजनाओं पर कितना रुपया व्यय किये जाने की संभावना है और वह व्यय कहां से पूरा किया जायेगा ?

श्री दा० रा० चव्हाण : जहां तक राज्य बोर्डों के कमचारियों का सम्बन्ध है वे राज्य सरकारों के कर्मचारी होते हैं और इन के वेतन और भत्ते आदि का स्वयं राज्य सरकारों द्वारा भुगतान किया जाता है। जहां तक जिला बोर्डों का सम्बन्ध है उन पर जो रुपया व्यय होता है उस का ५० प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा तथा ५० प्रतिशत बोर्ड द्वारा वहन किया जाता है।

Shri Vishwanath Pandey : May I know whether there Boards established in various States will provide any assistance to ex-servicemen of Indian National Army who have not so far been granted either any pension or assistance ?

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या आजाद हिन्द फौज के कर्मचारी भी इस में सम्मिलित हैं।

श्री दा० रा० चव्हाण : ये बोर्ड भी भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के लिये हैं, जिन में आजाद हिन्द फौज के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : मुझे ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ जिलों में, इन के सुचारु रूप से कार्य करने की बात तो दूर रही बोर्ड के अधिकारी कुछ निरक्षर विधवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को गुमराह करते हैं और कभी कभी उन से झूठी रसीदें ले लेते हैं। क्या सरकार को यह बात ज्ञात है और इस को रोकने के लिये क्या वे कुछ कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री दा० रा० चव्हाण : अभी तक हमें यह बात ज्ञात नहीं है। परन्तु यदि माननीय सदस्य इन शिकायत को हमारे पास भेज देंगी तो हम उन की जांच करेंगे।

श्री रामचन्द्र उलाका : राज्य बोर्डों के सचिवों के रूप में पूर्ण-कालिक अधिकारियों को नियुक्त करने के लिये क्या कसौटी रखी गई है और कितने राज्य बोर्डों ने पूर्णकालिक अधिकारियों को सचिवों के रूप में नियुक्त कर लिया है ?

श्री दा०रा० चव्हाण : बोर्डों के सचिवों को पूर्णकालिक अधिकारियों के रूप में नियुक्त करने के लिये हमने उनसे प्रार्थना की है। हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री हेमराज : अधिकांश राज्यों में इन बोर्डों में पहले कल्याण अधिकारी हुआ करते थे और वे हटा दिये गये थे। क्या और अधिक कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : यह जानकारी विवरण में ही दी हुई है। हमने ६१ कल्याण अधिकारियों को नियुक्त किया है।

Shri Rameshwaranand : Some high military officials were killed in an air accident during the last month. Have Government been ableto find officers of the same level to make this Board a success ?

श्री श्यामलाल सर्राफ : सैनिकों, नाविकों और वैमानिकों के कल्याण का ध्यान रखने के अतिरिक्त क्या इन बोर्डों को और भी कुछ कार्य सौंपने का विचार है और यदि हां, तो वह कार्य किस प्रकार का होगा ?

श्री दा० रा० चव्हाण : इसमें नाविक, सैनिक तथा वैमानिक सम्मिलित हैं।

Shri Yashpal Singh : Worst possible land is being allotted to the army personnel under the Consolidation of Holdings Act. Has the Board been given a right to move the court on behalfof army personnel for securing better lands for them ?

श्री दा० रा० चव्हाण : ये सभी बोर्ड भूतपूर्व सैनिकों और सैनिकों की विधवाओं को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेंगे।

श्री बासप्पा : क्या इन बोर्डों में भूत-पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधि भी रखे गए हैं ?

श्री दा० रा० चव्हाण : जी हां।

श्रीमती सावित्री निगम : विवरण में यह बताया गया है कि कल्याण अधिकारियों के ६१ पदों की मजूरी दी गई है। क्या मैं जान सकती हूं कि इन कल्याण अधिकारियों का कार्य करने का क्षेत्र कितना होगा और क्या कार्य करने के लिये उन्हें कुछ रुपया भी दिया जायेगा ?

श्री दा० रा० चव्हाण : उनका कार्य करने का क्षेत्र वही होगा जो कि बोर्डों का क्षेत्र है। निधियों के सम्बन्ध में पहले ही बता चुका हूं कि इन अधिकारियों पर होने वाला व्यय बराबर बराबर बांट लिया जायेगा।

पिंडी—पीकिंग सड़क

+

*७०१. { **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री महेश्वर नायक :
श्री हरि विष्णु कामत : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि पिन्डी और पीकिंग को सड़क

के द्वारा मिलाया जा रहा है तथा प्रस्तावित सड़क १९६५ तक बन कर पूरी हो जायेगी ;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि यह सड़क किन क्षेत्रों से गुजरेगी तथा क्या यह किसी ऐसे क्षेत्र से भी गुजरेगी जो भारत का क्षेत्र है अथवा जिस पर भारत का दावा है ; और

(ग) क्या सरकार ने राजनयिक पत्र व्यवहार अथवा अन्य किसी प्रकार से इन क्षेत्रों पर भारत का अधिकार बताने के लिये कोई कदम उठाये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) रावलपिंडी को पीकिंग से मिलाने वाली प्रस्तावित सड़क के सम्बन्ध में समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों को सरकार ने देखा है ।

(ख) यद्यपि प्रस्ताव से सम्बन्धित ब्योरे तो हमें ज्ञात नहीं हैं परन्तु वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान का चीन के साथ मिला हुआ कोई सीमांत प्रदेश नहीं है और ऐसी कोई भी सड़क काश्मीर के उस भारतीय राज्य क्षेत्र से अवश्य ही गुजरेगी जिसे कि इस समय पाकिस्तान ने अवैध रूप से हथिया रखा है ।

(ग) भारत सरकार ने, अनेकों अवसरों पर, पाकिस्तान और चीन की सरकारों को यह स्पष्ट कर दिया है कि काश्मीर के उन भागों के सम्बन्ध में किया गया कोई भी करार जो कि इस समय पाकिस्तान के गैर कानूनी अधिकार में है भारत सरकार द्वारा वैध नहीं माना जाएगा ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार ने प्रस्तावित सड़क के सामरिक परिणामों के सैनिक महत्व का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो सरकार का मूल्यांकन क्या है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : हमने केवल १९६२ में जारी की गई विज्ञप्ति से और पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा दिए गए विभिन्न वक्तव्यों से इन समाचारों को देखा है । इस सारी बात का अभी अन्तिम फैसला नहीं हुआ है और हम यह नहीं जानते कि इसके क्या परिणाम होंगे ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : श्रीमन्, मैं एक औचित्य प्रश्न उठाता हूं । सड़क के बन जाने के बाद तो मूल्यांकन नहीं किया जाना है । सैनिक महत्व और सामरिक परिणामों सम्बन्धी भी मूल्यांकन इसी समय किए जाने चाहिये जब कि प्रस्ताव चालू है और उस समय नहीं जब कि सड़क तैयार हो जाये ।

प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): यह स्पष्ट है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय समय समय पर ऐसे मूल्यांकन करता है । इसके सम्बन्ध में कहने वाली कोई विशेष बात नहीं है । हमारे विचार में इस कार्य को करना एक बहुत वांछनीय बात नहीं है ।

श्री नाथ पाई : मूल्यांकन अथवा सड़क का बनाया जाना ? क्या बात वांछनीय नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : उनका यह सड़क बनाना ।

श्री हरि विष्णु कामत : इसके लिये यह मूल्यांकन करना ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या बात वांछनीय नहीं है ? हम इसे नहीं समझ सके । उन्होंने यह बताया है कि कोई चीज वांछनीय नहीं है ।

श्री त्यागी : सड़क ।

अध्यक्ष महोदय : सड़क का बनाना ।

श्री हरि विष्णु कामत : वे बना रहे हैं ठीक है न ?

श्री नाथ पाई : 'वांछनीय' कहकर एक बहुत ही अस्पष्ट रूप में उन्होंने अपनी राय जाहिर की है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या भारत सरकार ने अपने विदेशी मित्र राष्ट्रों को इस सड़क के परिणामों और इस सड़क के परिणामों के फलस्वरूप भारत की सुरक्षा को पैदा होने वाले खतरे के सम्बन्ध में बताने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं यह नहीं जानता कि 'विदेशी मित्र राष्ट्रों' से माननीय सदस्य का क्या अर्थ है । यदि उनका मतलब अमेरिका, इंग्लैंड और रूस से तथा इन जैसे अन्य देशों से है, तो हमने इस सदन में भी और अन्य स्थानों पर भी यह कहा है कि क्योंकि यह सड़क निश्चय ही काश्मीर के इस समय पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में होकर गुजरेगी—इसके गुजरने के लिये और कोई रास्ता ही नहीं है — इस लिये हम इसका घोर विरोध करते हैं । हमने ऐसा कहा है और हरएक इसे जानता है ।

Shri Prakash Vir Shastri : The hon. Prime Minister has stated that they have sent some portest notes etc. in this connection. May I know if inspite of the protest lodged by the Government of India and also in spite of the assistance provided by some of our friendly nations who desire an amicable settlement between India and Pakistan regarding the Kashmir issue the construction of this road-link continues, what efforts will be made by the Government of India to prevent it because it would have a far-reaching effect on the political future of India ?

Mr. Speaker : This is hypothetical.

Shri Prakash Vir Shastri : What action will be taken by the Govt. of India if this road is constructed in spite of the protest ?

Mr. Speaker : We must not say so at present.

श्री हरि विष्णु कामत : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस घटना को कोई ज्यादा दिन नहीं बीते जब कि चीन ने सिंकियांग से एक सड़क बनाई थी जो कि सिंकियांग को पश्चिमी तिब्बत के साथ मिलाती है तथा हमारे राज्य क्षेत्र में होकर गुजरती है और इसके विरुद्ध हमारे सभी विरोध निरर्थक सिद्ध हुए थे और चीन आज भी उस सड़क का आनन्दपूर्वक उपयोग कर रहा है, क्या सरकार की यह आशंका है कि इस सम्बन्ध में भी हमारा विरोध निरर्थक सिद्ध हो सकता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हम नहीं कह सकते, क्योंकि इस सड़क को बनाने की सारी बात ही बहुत कठिन है । हमारी खिलाफत के अलावा भी सचाई यह है कि यह कठिन काम है और चीन अथवा पाकिस्तान के लिये इस सड़क को बनाना आसान नहीं होगा, तिस पर भी वे इसे बनाने की कोशिश कर सकते हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : और हम कुछ नहीं कर सकते ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : नहीं कर सकते ।

श्री हरि विष्णु कामत : तो फिर हमें अपने राज्य-क्षेत्र से हाथ धोना पड़ेगा ।

Shri Prakash Vir Shastri : Sir, on a point of order.

When a certain question is put in Hindi, it is treated as insignificant, whereas the same becomes significant when put in English by another Member. I had asked the same question which Shri Kamath has asked in English. My question was not permitted by you whereas his question has been permitted.

Mr. Speaker : Shri Kamath did not ask the same question. It is not proper and appropriate on his part to say so. His question was hypothetical; the other one was not so. He asked about the apprehensions of the Government. Some other words might have been used while replying, but his question was only this as to what did the Government apprend. What he asked was that what action Government would take if they did not keep inview our protest. The difference between the two questions, must be realised. I feel the difference. Still it may be that my view point is wrong.

श्री हेम बरुआ : श्री भुट्टो के हाल के इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए कि, यदि आवश्यक हुआ तो, पाकिस्तान, भारत के विरुद्ध चीन से सैनिक सहायता लेगा, इससे कम से कम सामरिक महत्व की सामग्री के सम्भरण के मामले में इस सड़क का बहुत अधिक महत्व हो जायेगा . . . .

अध्यक्ष महोदय : उस सब वक्तव्य को बताने की आवश्यकता नहीं है, वह अपना प्रश्न पूछें ।

श्री हेम बरुआ : चीन द्वारा पाकिस्तान को युद्ध सम्बन्धी सामग्री का सम्भरण करने के कार्य में इस सड़क का उपयोग किया जायेगा । सरकार ने इस मामले में सख्ती से काम क्यों नहीं किया और, यदि आवश्यक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का इस बात की ओर ध्यान क्यों नहीं दिलाया और चीन और पाकिस्तन को यह चेतावनी क्यों नहीं दी कि हम इस सड़क को नहीं बनने देंगे क्योंकि यह हमारे राज्य-क्षेत्र में होकर गुजरेगी? वह इस मामले में कड़ा रुख क्यों नहीं अपनाते हैं ? हमारी नीति इतनी अस्थिर और हिचकिचाने वाली क्यों है ?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिये एक सुझाव है । श्री नाथ पाई ।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि यह एक सुझाव नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अब वह तर्क कर रहे हैं । पहले भाग में सुझाव दिया गया था । बाद में, यह केवल तर्क की बात है . . . . . .

श्री हेम बरुआ : श्रीमन्, वह एक सुझाव नहीं है । मैं इसके कारण जानना चाहता हूं कि सरकार इस कार्य को क्यों नहीं कर रही है ।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री नाथ पाई कृपा करके बैठ जायें, क्योंकि उनके सहयोगी प्रश्न पूछने के लिये जोर दे रहे हैं । एक समय पर एक ही व्यक्ति खड़ा हो सकता है ।

श्री नाथ पाई : निश्चय ही । क्योंकि आपने मुझे पुकारा था इसलिये मैं खड़ा हुआ था ।

श्री हेम बरुआ : मेरा निवेदन यह है । सम्भवतया उस समय मेरी अंग्रेजी ठीक न हो ।

अध्यक्ष महोदय: मैं उनकी अंग्रेजी में दोष नहीं निकाल सकता । वह इतनी उत्कृष्ट होती है कि कभी कभी मेरे लिये उसे समझना मुश्किल होता है । परन्तु मैंने यह कहा है उनके प्रश्न का पहला भाग एक सुझाव था । दूसरे भाग में वह तर्क कर रहे थ । अब श्री नाथ पाई ।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं निवेदन कर सकता हूं ....

अध्यक्ष महोदय : कोई तो इसका निर्णय करेगा ही। अब कौन इसका निर्णय करे। श्री नाथ पाई।

श्री नाथपाई : श्री भुट्टो ने सुरक्षा परिषद् में एक मुख्य आरोप यह लगाया है कि काश्मीर विधान सभा में सदरे रियासत का गवर्नर नाम रखने के लिये जो कदम उठाया जा रहा है वह काश्मीर की यथापूर्व स्थिति को बदलने के लिये एकपक्षीय कार्य है। इस आरोप को देखते हुए और उनके इस कथन को देखते हुए कि इससे काश्मीर सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संकल्प का उल्लंघन होगा, क्या मैं जान सकता हूं कि प्रधान मंत्री द्वारा भारतीय प्रतिनिधि मण्डल को क्या अनुदेश भेजे गये थे और क्या उनका पालन किया गया था ? क्या यह बात संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्यान में लाई गई थी और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : श्री चागला ने संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण में इसका कड़ी भाषा में उल्लेख किया था।

श्री बड़े : प्रधान मंत्री ने यह बताया है कि इस मामले के बारे में सरकार ने पश्चिमी राष्ट्रों को लिखा है। इस आशय के कुछ वक्तव्य भी उन्होंने संसद में दिये हैं। पश्चिमी देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : कोई प्रतिक्रिया नहीं है।

श्री त्यागी : क्या मैं यह मान लूं कि कम से कम हमारे क्षेत्र में तो सड़क बनाने का कार्य वास्तव में अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है ?

बिना विभाग के मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मैं सदन को यह सूचित करता हूं कि पाकिस्तान सरकार ने स्वयं यह बताया है कि उनका ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वास्तव में तो ३ मार्च १९६४ को किसी मंत्री ने इस सड़क के बारे में कुछ कहा था। बाद में सरकारी स्तरपर वह बात काट दी गई थी ; अर्थात् मंत्री ने यह इस सड़क के बनाने के बारे में जो कुछ भी कहा था वह यह कह कर स्वीकार नहीं किया गया था कि ऐसी कोई विशिष्ट योजना नहीं है। दरअसल हम यह तो नहीं जानते कि भविष्य में वे क्या करेंगे परन्तु इस समय तो अपने मंत्रियों के पहले वक्तव्यों की उन्होंने काट की है।

श्री त्यागी : मेरा प्रश्न इससे भिन्न था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे राज्य क्षेत्र में इस सड़क को बनाने का कार्य वास्तव में आरम्भ कर दिया गया है अथवा नहीं। बस इतनी सी बात थी। वे जो कुछ कहते हैं वह इससे अलग बात है। क्या सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी है कि इस सम्बंध में उन्होंने हमारे राज्य क्षेत्र में कोई कार्य आरम्भ किया है अथवा नहीं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक हम जानते हैं, नहीं।

श्री नाथ पाई : श्रीमन्, एक औचित्य प्रश्न पर प्रारम्भ में मैं यह बता दूं कि यह एकदम एक औचित्य प्रश्न नहीं कहा जा सकता। मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ने मेरे प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि श्री चागला ने इसका कड़ा विरोध किया है। वह ऐसा नहीं कर सकते थे और न ही उन्होंने ऐसा कभी किया है, क्योंकि बिना विभाग के मंत्री ने जो कि सामान्यतया प्रधान मंत्री की ओर से बोलते हैं अभी यह बताया है कि पहली घोषणा ३ मार्च को की गई थी। श्री चागला तो सुरक्षा परिषद् से इससे बहुत पहिले ही वापस आ गये थे। इसलिये, जब उन्हें यह बात मालूम नहीं थी क्योंकि यह बाद में हुई, तो फिर वे इसका विरोध पहले किस प्रकार कर सकते थे ? क्या पूर्वानुमान लगाकर विरोध किया गया था ? हम यह चाहते हैं कि सरकार में अधिक समन्वय स्थापित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री उस वक्तव्य विशेष का जिक्र नहीं कर रहे थे ।

श्री नाथ पाई : पहली घोषणा तो उसी दिन की गई थी ।

श्री रंगा : श्रीमन्, क्या मैं आपके द्वारा प्रधान मंत्री से यह प्रार्थना कर सकता हूं कि अनावश्यक ही इतनी बार खड़े होने की चेष्टा करके वे हमें इतने दुःखी न करें। क्या बैठकर ही व अपने उत्तर नहीं दे संकते, जैसा कि स्वयं आपने सुझाव दिया था ? इससे हमारे प्रश्न पूछने के कार्य में बिघ्न पड़ती है, क्योंकि हम उन्हें कोई कष्ट नहीं देना चाहते ।

अध्यक्ष महोदय : अब वह निर्विघ्न अपना प्रश्न पूछें ।

श्री रंगा : श्रीमन्, आप इतने दिनों से देख रहे होंगे कि मैं उनसे प्रश्न न पूछने का प्रयत्न करता रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : एक बार आपके साथ मिल कर मैंने प्रधान मंत्री से यह प्रार्थना की थी ।

श्री हरि विष्णु कामत : जी हां । आपने एक बार प्रार्थना की थी। अब हमें यह बात उन्हीं पर छोड़ देनी चाहिए ।

श्री नाथ पाई : माइक को थोड़ा इधर उधर करना होगा ।

श्री रंगा : इसका क्या कारण है कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित इन समाचारों की ओर दिलाने के लिये अधिक परवाह नहीं की है कि इस सड़क का निर्माण करने में पाकिस्तान चीन को रियायत दे रहा है तथा उसके साथ सहयोग कर रहा है ? यदि आपने संयुक्त राष्ट्र के सामने इस बात को एक शिकायत के रूप में रखा होता, तो सम्भवतया पाकिस्तान की इस बात की अस्वीकृति भी भविष्य में उपयोग के लिये राष्ट्र संघ के अभिलेखों में आ जाती ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं यह नहीं जानता कि संयुक्त राष्ट्र के अभिलेखों में इस बात को लाने से माननीय सदस्य का क्या मतलब है । इस तथ्य का उल्लेख श्री चागला ने वहां पर हाल ही में अपने भाषण के दोरान किया था । अब तक यह समाचारपत्रों द्वारा ही सुझाया गया एक विचार है, जिसकी दोनों में से किसी भी सरकार ने पुष्टि नहीं की है । परन्तु यह विचार तो है ही । उस सड़क के विषय में कोई धारणा बनाना बहुत कठिन है । जो कुछ भी हो, श्री चागला ने वहां पर अपने भाषण में इसका उल्लेख किया था ।

नेफा और लद्दाख में मारे गये सैनिक

*७०२. **श्री हेम राज :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा और लद्दाख की लड़ाई में मारे गये, घायल हुए तथा लापता सैनिकों की सूची बना ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी अन्तिम संख्या क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी, हां ।

(ख) अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है :—

	सेना	वायु सेना
१. मारे गये	१३८१	शून्य
२. लापता (विश्वास है कि मारे गये)	१६६८	१
३. घायल	११४७	शून्य

श्री हेम राज : जिन लोगों को मारा गया समझ लिया गया है, क्या उन व्यक्तियों के निवृति वेतन के मामले निपटा दिये गये हैं ?

श्री दा० रा० चह्वाण : अधिकांश मामले निपटा दिये गये हैं ।

श्री हेम राज : क्या उन सभी मामलों का पता लगा लिया गया है जिनके बारे में पिछली बार यह उत्तर दिया गया था कि उनका पता लगाया जाना है । नवम्बर महीने में एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था :

"अभी तक लापता भारतीयों की संख्या ७७१ है । लद्दाख और थागला रिज क्षेत्र में विसैन्यीकृत जोन में कुछ लाशें हैं जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।"

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): अब वह संख्या बहुत कम हो गयी है । इस समय लापता सैनिकों की संख्या १२३ है ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या सरकार को उन चीनी सैनिकों के बारे में कोई जानकारी है जो हमारे जवानों को मारने के प्रयत्न में मारे गये ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जी नहीं । हमें कोई जानकारी नहीं है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह सच है कि उन घायल सैनिकों के, जो अभी भी अस्पताल में हैं, वेतन आधे कर दिये गये हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये क्योंकि इस बारे में इस समय मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : लापता (विश्वास है कि मारे गये) व्यक्तियों की श्रेणी में यह संख्या एक हजार से अधिक है । क्या सरकार ने पीकिंग स्थित अपने दूतावास अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास और अन्य साधनों से निश्चित रूप से यह पता लगाने का प्रयत्न किया है कि चीन के पास अब भी कुछ युद्ध बंदी हैं और क्या चीनियों द्वारा बतायी गयी सूचियां गलत हैं ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जब हम इस अनुमान पर पहुंचते हैं कि उन्हें मारा गया समझ लिया गया है तो कई प्रकार से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों, रेड क्रास संस्था और विभिन्न अन्य संगठनों से पूछताछ करने पर ही इस धारणा पर पहुंचते हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा प्रश्न यह था कि क्या उन्होंने यह पता लगाने का प्रयत्न किया है कि क्या चीन के पास अब भी कुछ युद्ध बंदी हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं नहीं समझता कि चीन के पास अब भी कोई युद्ध बंदी हैं ।

श्री हेम बरुआ : पिछली बार नेफा के दौरे के दौरान हमें सेला के इस ओर भी एक श्मसान भूमि मिली जहां अपने देश के लिये खून बहाने वाले जवानों की हड्डियों के ढेर थे। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने उनके खून से सिंचे हुए स्थान पर उनकी स्मृति में एक स्मारक बनाना अभी तक क्यों आवश्यक अथवा वांछनीय नहीं समझा ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह एक सुझाव है। हम इस पर विचार करेंगे।

श्री हेम बरुआ : यह घटना वर्ष १९६२ में हुयी और अब तक उन्होंने इस सुझाव पर विचार नहीं किया और श्रीमान् जी यदि आप उस स्थान को देखें तो आप महसूस करेंगे......

अध्यक्ष महोदय : और क्या ? उन्होंने इस सुझाव पर विचार नहीं किया है।

श्री हेम बरुआ : मुझे खेद है कि उन्होंने इस पर विचार नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। उन्हें खेद है लेकिन इसमें और क्या हो सकता है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस मामले पर विचार किया गया था। यह आवश्यक समझा गया कि हम इस प्रश्न पर आपातकाल समाप्त होने के बाद विचार करें क्योंकि यदि यह काम किया जाना है तो यह सही ढंग से किया जाना चाहिये। और निश्चित रूप से स्मारक के संरक्षण के लिये भी कुछ कदम उठाये जायेंगे। इसको कठिन स्थिति में डालने से कोई लाभ नहीं है। अतः सही बात तो यह है कि इस मामले पर विचार किया गया था और ऐसी बात नहीं है कि इस पर विचार नहीं किया गया। वर्तमान स्थिति यह है कि आपातकाल समाप्त होने पर इस पर विचार किया जायेगा और नेफा में कोई स्मारक बनाया जायेगा।

श्री बासप्पा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अब भी कोई पदाधिकारी लापता है और जो पदाधिकारी वापस आये हैं क्या वे सब काम पर लग गये हैं और क्या उनसे पूछताछ की गयी है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं लापता व्यक्तियों की संख्या बता चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि क्या लापता सभी व्यक्तियों का पता लगा लिया गया है और वे वापस आ गये हैं और क्या वे अपने काम पर आ गये हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जो लोग वापस आये हैं उन्होंने अपना काम सम्हाल लिया है।

डा० मा० श्री० अणे : आपातकाल समाप्त होने के बाद स्मारक बनाने के बारे में कुछ किये जाने का निर्णय केवल रिकार्ड ही है या मत अभिव्यक्ति है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : व्यवहार्यतः यह मेरा मत है और जब मैं सभा में यह कह रहा हूं तो इसमें कुछ सत्यता भी है।

डा० मा० श्री० अणे : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह रिकार्ड का मामला है।

Shri Yashpal Singh : What is the number of such cases in which no representatives of the State or the Central Govt. called on the relative of whose killed while fighting the Chinese ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं नहीं समझता कि ऐसे कोई घराने हैं।

श्री रंगा : क्या मैं जान सकत हूं कि क्या हमने अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास से कोई ऐसी अपील की है कि वह चीन सरकार से बात करे और अपनी संतुष्टि के लिये यह पता लगाये कि क्या सरकारी या

गैर सरकारी तौर पर वहां किसी शिविर में अथवा अस्पतालों में या अन्य स्थानों पर अभी कोई युद्ध बंदी हैं ताकि यह निश्चित किया जा सके कि चीन सरकार ने जो वक्तव्य दिया है वह बिल्कुल सत्य है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जब कि चीन में हमारे युद्ध बंदियों की संख्या बहुत थी, तब भी हमने अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास से चीन सरकार से बात करने को कहा था परन्तु चीन सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास से बात करने से इन्कार कर दिया था । अतः इसके बाद हमने उन से नहीं कहा है ।

Shri Kamalnayan Bajaj : Has the hon. Minister considered the question of giving some sort of pension etc. to the families of the missing soldiers so as to save them from hardships. Has any procedure been evolved to ensure that pension or relief is given to them in full ?

Shri Y. B. Chavan : We have considered over this and also taken some action.

पाकिस्तान के लिये अमरीकी पनडुब्बी

\+

*७०३. { **श्री कछवाय** :
श्री जोकीम आल्वा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि अमरीका पाकिस्तान को पहली पनडुब्बी देगा ;

(ख) पाकिस्तानी नौसेना को इसके मिल जाने पर भारत की सुरक्षा को क्या खतरा हो जायेगा ; और

(ग) क्या सरकार का विचार अपनी घोषित नीति, कि वह न तो पनडुब्बियों का निर्माण करेगा और न उनका उपयोग करेगा, जारी रखने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) (क) जी हां ।

(ख) इस पनडुब्बी के मिल जाने पर पाकिस्तानी नौसेना की अपनी रक्षा करने की शक्ति बढ़ जायेगी ।

(ग) अपने धरातल बेड़े को पनडुब्बी विरोधी प्रशिक्षण देने के लिये भारतीय नौसेना के लिये पनडुब्बियां खरीदने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

Mr. Speaker : The proposals to purchase such things for the Indian Navy are under consideration.

Shri Kachhavaiya : Are Government contemplating the purchase of more Sub-marines from U.S.A at the earliest in view of continued enemy threat to the country ?

श्री दा० रा० चह्वाण : हमने बताया है कि मामला विचाराधीन है ।

Shri Kachhavaiya : Is there any such condition incorporated in this deal that Pakistan would not use the Sub-marine against India ?

श्री दा० रा० चह्वाण : यह एक भिन्न प्रश्न है। यह मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है फिर भी मेरे पास अभी यह जानकारी नहीं है।

Shri Kachhavaiya : Sir, my question relates to this.

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : हमारी जानकारी यह है कि वे इसको प्रशिक्षण कार्य के लिये इस्तेमाल कर सकते हैं। परन्तु निश्चित रूप से इसकी रक्षात्मक सामर्थ्य है। हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा।

श्री राम सहाय पाण्डेय : जब कि इसको खरीदने का प्रस्ताव विचाराधीन है, अमरीका या अन्य किसी देश से पनडुब्बियां लेने की शर्तें क्या हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : हमारी ओर से कोई शर्त नहीं है। दूसरी ओर से भले ही हो।

श्री त्यागी : इसका कौनसा भाग विचाराधीन है। क्या पनडुब्बी लेने या न लेने का प्रश्न विचाराधीन है या केवल खरीद के बारे में विचार किया जा रहा है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : निर्णय तभी किया जा सकता है जब कि हमें उपलब्धता का पता चल जाये। यह केवल वह निर्णय करने का प्रश्न नहीं है जो क्रियान्वित न किया जा सके।

Shri Raghunath Singh : The Defence Department has two shipyards at the moment. I want to know whether there is any scheme to manufacture sub-marine in our own shipyards.

Shri Y. B. Chavan : No, Sir.

श्री अ० प्र० जैन : अमरीका द्वारा पाकिस्तान को पनडुब्बी का दिया जाना हमारे लिये चिन्ता का विषय है। क्या इस बात का पता लगाया गया है कि क्या पनडुब्बी दिये जाने की एक शर्त यह है कि इसका भारत के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं किया जायेगा ?

श्री नाथ पाई : तब फिर किस के विरुद्ध किया जायेगा। यह तो स्पष्ट है।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री हरि विष्णु कामत : सरकार की ओर से चुप्पी है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री बड़े : औचित्य प्रश्न पर।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या उन्होंने अमरीका सरकार से इस बात का पता लगा लिया है कि पाकिस्तान और भारत के बीच झगड़े में इस पनडुब्बी का भारत के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस बारे में मेरे मंत्रालय में कोई जानकारी नहीं है। इसीलिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये। संभवतः मुझे वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से परामर्श करना पड़ेगा।

श्री अ० प्र० जैन : यह कैसे संभव है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह संभव है।

श्री अ० प्र० जैन : यह बड़ी अजीब बात है।

श्री हरि विष्णु कामत : यहां पर प्रधान मंत्री जी मौजूद हैं। वैदेशिक कार्य मंत्रालय की ओर से वे कुछ बता सकते हैं।

श्री नाथ पाई : इस बारे में भी मैं एक प्रश्न पूछना चाहता था। परन्तु अब मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि क्या प्रतिरक्षा मंत्री महोदय पनडुब्बियों के प्रश्न पर केवल विचार ही नहीं करेंगे बल्कि स्वीडन जैसे मित्र देशों से, लेने के प्रश्न पर गंभीरता से सोचेंगे, जिन को पनडुब्बियां उत्पादन का अनुभव है और जो हम अपनी नीति में किसी भी रूप से फेरबदल किये बिना ले सकेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : सुझाव।

श्री नाथ पाई : क्या वे प्रयत्न कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वे विचार करेंगे।

श्री नाथ पाई : मैं बड़े विनयपूर्वक प्रार्थना करता हूं कि श्री त्यागी के प्रश्न का उत्तर बड़ा व्यापक दिया गया है जिस से मुझे यह प्रश्न पूछना पड़ा। केवल अमरीका ही ऐसा देश नहीं है जहां पनडुब्बियां बनती हैं। और भी बहुत से देश हैं। हम हमेशा इंगलैंड और अमरीका के ही पीछे क्यों पड़ रहें ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : अन्य देशों से परामर्श नहीं लिया गया।

श्री त्यागी : एक बात स्पष्ट की जानी चाहिये .....

अध्यक्ष महोदय : नहीं। इस प्रकार मैं उन को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता। उन को पुकारे बिना ही वह प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं।

श्री बड़े: एक औचित्य प्रश्न पर।

अध्यक्ष महोदय : वह एक वकील हैं। वह इस बात को विचार लें कि क्या वास्तव में कोई औचित्य प्रश्न है।

श्री बड़े : जी, हां। मैं आप का संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : संरक्षण।

श्री बड़े : संरक्षण और स्पष्टीकरण। प्रश्न का भाग (ख) है कि "पाकिस्तानी नौ सेना को इस के मिल जाने पर भारत की सुरक्षा को क्या खतरा हो जायेगा।" जब श्री कछवाय ने यह प्रश्न पूछा था तो हमारे दिमाग में भी यही बात थी। तो स्पष्टतः मंत्री महोदय ने सोचा होगा कि ऐसा कोई खतरा नहीं है क्योंकि उस में यह शर्त है कि इस को भारत के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं किया जायगा। अतः मैं इस बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं। इस पारे में मंत्रालय उदासीन क्यों है ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें संवैधानिक बात अथवा प्रक्रिया नियम कौन सा है ?

श्री बड़े : हम स्थिति के बारे में अन्धकार में हैं। मैं वास्तविक तथ्य जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : औचित्य प्रश्न सदैव अध्यक्ष को प्रक्रिया नियमों और संविधान के अनुसार कार्यवाही करने में सहायता देने के लिये होता है। यहां पर औचित्य प्रश्न सहायता करने के लिये नहीं बल्कि बाधा पहुंचाने के लिये हैं। मैं ने कई बार अपील की है और जब वकील लोग भी ऐसा औचित्य प्रश्न उठाते हैं, तो मुझे आश्चर्य होता है। (**अन्तर्बाधा**)

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : इन सभी वर्षों में हमें यह समझाया जाता रहा है कि अमरीका सरकार ने हमें यह स्पष्ट आश्वासन दे रखा है कि पाकिस्तान को सहायता स्वरूप दिये गये शस्त्रों का भारत के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं कियाजायेगा। क्या प्रतिरक्षा मंत्री जी के उत्तर से मैं यह समझूं कि अब इस आश्वासन का पालन नहीं किया जा रहा है और अब इस का निराकरण कर दिया गया है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वह आश्वासन अब भी चालू है और वह इस पर भी लागू होता है ....(अन्तर्बाधा)

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : अमरीका ने निश्चित रूप से यह आश्वासन दिया हैं और जहां तक इस का सम्बन्ध है, हम इस पर विश्वास करते हैं परन्तु इस से पाकिस्तान किस हद तक शस्त्रों के उपयोग या दुरुपयोग कर सकता है, मैं नहीं कह सकता।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि अमरीका अपने सातवें बेड़े को कुछ सहायता देने के ख्याल से दक्षिण-पूर्व एशिया में पाकिस्तान को एक बड़ी नौसैनिक शक्ति वाला बनाना चाहता है और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है अथवा इस पहलू का परीक्षण किया हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं समझता कि "पाकिस्तान को एक बड़ा नौ सैनिक शक्ति वाला बनाने" से माननीय सदस्य का क्या मतलब है। एक पनडुब्बी से कोई बड़ा शक्तिशाली नहीं बन जाता। हमारा इरादा प्रशिक्षण के लिये पनडुब्बी लेने का है परन्तु इस में सन्देह है कि क्या अन्य बातों की तुलना में यह हमारे लिये अधिक लाभदायक होगी, हमें सदैव सम्बन्धित बातों पर भी विचार करना है कि पनडुब्बी पर धन खर्च करना लाभदायक है या विमान पर खर्च करना। हमारे कई लोगों की यह राय है कि पनडुब्बी की अपेक्षा विमान अधिक महत्वपूर्ण हैं। तथापि, हम यदि प्राप्त कर सके तो प्रशिक्षण कार्य के लिये एक पनडुब्बी लेने के बारे में विचार कर रहे हैं।

श्री रंगा : मुझे खुशी है कि उन्हों ने उत्तर तो दिया कि वे किसी देश से पनडुब्बी खरीदने की संभावना पर विचार कर रहे हैं। प्रधान मंत्री जी चाहते हैं कि हम यह विश्वास कर लें कि इस के परिणाम भयंकर नहीं होते।

अध्यक्ष महोदय : हमें विवाद में नहीं पड़ना चाहिये। वह प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री रंगा : क्या यहां पर हमारे मंत्रियों ने और वाशिंगटन स्थित हमारे प्रतिनिधियों ने यहां पर और अमरीका के राष्ट्रपति और सेक्रेटरी आफ स्टेट को और अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों को भारत की यह आशंका व्यक्त कर दी है कि अमरीका द्वारा पाकिस्तान की नौसेना को पनडुब्बी से सुसज्जित करने के परिणाम हमारी प्रतिरक्षा पर बड़े भयंकर पड़ेंगे और इसलिय क्या उनाको यह बता दिया गया है कि पहले तो उन्हों ने पाकिस्तान को पनडुब्बी दे कर गलती की है और दूसरे यह कि उन को कम से कम एक पनडुब्बी हमें भी उचित मूल्य पर दे कर इस खतरे को कम करना चाहिये ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे पता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या हम ने अन्य देशों को सूचित कर दिया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हम ने उन्हें विशिष्ट रूप से इस बारे में सूचित नहीं किया है। परन्तु शस्त्रीकरण के इस मामले में हम ने उन्हें सूचित कर दिया है और बता दिया है।

संयुक्त राष्ट्र शान्ति स्थापना दल

+

*७०४. { श्री हरि विष्णु कामत :
श्री महेश्वर नायक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के स्थायी रूप से शान्ति स्थापना दल बनाने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) क्या कुछ देशों ने इस सम्बन्ध में कोई शुरुग्रात कर दी है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में भारत सरकार को कुछ बताया गया है, अथवा उस से कुछ कहा गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) संयुक्त राष्ट्र के समक्ष ऐसा कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) पिछले वर्ष डेन्मार्क, फिनलैंड, नीदरलैण्ड, नार्वे और स्वीडन की सरकारों ने संयुक्त राष्ट्र महा-सचिव को 'सहायक' (स्टैण्ड बाई) सेना बनाने का प्रस्ताव किया था जिनको संयुक्त राष्ट्र की शांति-स्थापना कार्यों में इस्तेमाल के लिये संयुक्त राष्ट्र को दिया जा सके और जिसे संयुक्त राष्ट्र को सौंपने के लिये तैयार रखा जा सके। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है ।

(ग) और (घ). जी हां। यद्यपि भारत सरकार शांति और सुरक्षा बनाये रखने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस दल की स्थापना के सिद्धान्त का समर्थन करती है, उन का यह विचार है कि इस दल का लाभ तभी हो सकता है जब सामान्य निशस्त्रीकरण हो ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य, रूस और फ्रांस ने हेग न्यायालय के निर्णय के बावजूद कांगो और गाजा में संयुक्त राष्ट्र की सेना को शांति-स्थापना कार्यों के लिये कोई वित्तीय मांग देने से इन्कार कर दिया है और क्या सरकार विश्व-शांति और भावी विश्व-सरकार के हित में संयुक्त राष्ट्र पर इस मामले में जोर डाल रही है और उन सभी राष्ट्रों से कहने का प्रयत्न कर रही है जो शांति-स्थापना कार्यों के लिये संयुक्त राष्ट्र की सेना में शामिल होने से हिचक रहे हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है। अनुपूरक प्रश्न बहुत लम्बा है ।

श्री हरि विष्णु कामत : तो फिर आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति न दी होती ।

अध्यक्ष महोदय : यदि अनुपूरक प्रश्न छोटा होता तो मैं उत्तर देने की अनुमति देता ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बर्मा से भारतीय राष्ट्रजन का निष्कासन

*६९५. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय राष्ट्रजन, डा० सूबी को आपातकालीन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत हाल ही में बर्मा से निष्कासित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या बर्मा सरकार की इस कार्यवाही के कारणों का पता लगा लिया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकार को उन के निष्कासन के सही कारण ज्ञात नहीं हैं। रंगून में हमारे दूतावास ने बर्मा सरकार से उन के निष्कासन के कारण जानने का प्रयत्न किया था परन्तु बर्मा सरकार से अब तक कोई सूचना नहीं मिली है।

भारतीय वायु सेना के विमान की दुर्घटना

*६९७. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री १८ फरवरी १९६४ के अपने वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना के परिवहन विमान इल्यूशिन-१४ की खोज कर ली गई है, जो १३ यात्रियों के साथ लापता हो गया था;

(ख) यदि हां, तो किस स्थिति में और कहां पर वह विमान मिला है;

(ग) क्या इसके सम्बन्ध जांच की गई है; और

(घ) क्या सरकार की स्थल तथा वायु सेना के लापता अफसरों के परिवारों को कोई सहायता देने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जांच न्यायालय को आदेश दे दिए गए हैं और उन के प्रतिवेदन की जांच की जा रही है।

(घ) जी हां।

नौसैनिक अभ्यास

*६९९. श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडोनीशिया और पाकिस्तान ने समाचारपत्रों तथा अन्य प्रचार साधनों के द्वारा, सिंगापुर के समीप चल रहे राष्ट्रमंडलीय नौसैनिक अभ्यासों में भारत द्वारा भाग लिये जाने के कार्य को इन्डोनीशिया विरोधी-कार्यवाई बतलाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :(क) और (ख). सरकार का ध्यान हाल में ही पाकस्तान के सामाचारपत्रों में प्रकाशित हिन्द महासागर में संयुक्त राष्ट्र मंडल अभ्यास पर इण्डोनेशिया की प्रतिक्रिया की ओर दिलाया गया है। पाकिस्तानी समाचारपत्रों में दिए गए सुझाव निराधार हैं।

'सुपरसोनिक' लड़ाकू विमान

*७०५. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना : }

क्या प्रतिरक्षा मंत्री १८ नवम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या २१ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब गण राज्य के सहयोग से 'सुपरसोनिक' (आवाज़ की रफ्तार से भी तेज चलने वाले) लड़ाकू विमानों का संयुक्त रूप से उत्पादन करने के सम्बन्ध में इस बीच निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) मामला विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तारापुर अणुशक्ति संयंत्र

*७०६. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री दे० द० पुरी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री अ० ना० विद्यालंकार : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान अमरीकी संयुक्त कांग्रेस अणुशक्ति समिति के प्रधान के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी द्वारा बनाये गये तारापुर अणुशक्ति सन्यन्त्र की निर्माण लागत उस सन्यन्त्र से बहुत अधिक है जो इसी कम्पनी ने अमरीका में बनाया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की सावधानीपूर्वक जांच करने का विचार कर रही है ?

बिना विभाग के मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):(क) और (ख). सरकार ने समाचारपत्रों में उन समाचारों को देखा है जिसमें बताया जाता है कि सिनेटर चैट होलीफील्ड, वाइस चेयरमैन

अमरीकी संयुक्त कांग्रेस समिति ने तारापुर तथा अफसर कुकि, न्यूजेरेंसी अणु शक्ति केन्द्र की निर्माण लागत के बारे में बताया है। दोनों केन्द्रों की स्थापना के व्यय में अन्तर तो अवश्य है परन्तु इतना नहीं है जितना समाचारों में बताया गया है। लागत में अन्तर के कुछ कारण बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या ए ल० टी० २५६५/६४]**

श्री तारिक अब्दुल्ला का पत्र

***७०७.** **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री हेम बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान ३ मार्च, १९६४ के "लन्दन टाइम्स" में प्रकाशित शेख अब्दुल्ला के पुत्र, श्री तारिक अब्दुल्ला, के पत्र की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) उक्त पत्र के लेखक के विरुद्ध तथा पत्र से उत्पन्न भ्रम को दूर करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है, तो वह क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां।

(ख) पत्र में कही गई बातों का कोई आधार नहीं है। लन्दन में भारतीय उच्चायुक्त से इसका विरोध जारी करने को कहा गया है।

पाकिस्तान हेलीकाप्टर दुर्घटना

***७०८.** **श्री हरि विष्णु कामत :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कछवाय :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री ९ मार्च, १९६४ को पाकिस्तान हेलीकोप्टर दुर्घटना के बारे में ध्यान दिलाने की सूचना और उस पर पूछे गये प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मामले की जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो किसके द्वारा ; और

(ग) जांच की उपपत्तियां क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). दुर्घटना के बारे में पाकिस्तान सरकार को कठोर विरोध पत्र भेज दिया गया है। उस सरकार से उत्तर मिल जाने के बाद पाकिस्तानी हेलीकोप्टर द्वारा असैनिक उड्डयन विनियमों के उल्लंघन करने के बारे में किस प्रकार की कार्यवाही हो इसकी जांच की जायेगी।

जलपाईगुड़ी डिविजन, पश्चिम बंगाल के कमिश्नर १० मार्च, १९६४ को पश्चिम दीनाजपुर गये थे और वह जिलाधीश तथा सुपरिन्टेंडेंट पुलिस से मिले और उन्होंने ९ मार्च को गंगारामपुर में

पाकिस्तानी हेलीकोप्टर के उतरने को देखने वाले व्यक्तियों की जांच की । कमिश्नर से प्राप्त समाचारों के अनुसार हेलीकोप्टर तीन सीटवाला 'बैल–बुबी' था जो अधिक से अधिक ११,००० फुट ऊंचा जा सकता था और जिससे अधिकतम रफ्तार ६५ नोट थी । चिह्नों तथा इसमें बैठे हुए लोगों द्वारा पहने हुए कपड़ों से मालूम होता है कि वह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरवेज के कर्मचारी थे । हेलीकोप्टर पर 'एपी–ए ओ एफ' असैनिक चिह्न थे ।

कमिश्नर ने असैनिक अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं इस प्रकार से उतरने पर असैनिक हथियारों तथा सेना आदि से उनको पकड़ने का प्रयत्न किया जाना चाहिए ।

जम्मू तथा काश्मीर में पाकिस्तान द्वारा गोली चलाना

***७०६. { श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू सीमा पर ५ मार्च, १९६४ से लगभग एक सप्ताह तक दोनों ओर से चलने वाली गोली के बारे में संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों की क्या उपपत्तियां हैं ; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). संयुक्तराष्ट्र मुख्य सैनिक प्रेक्षक की उपपत्तियों की प्रतीक्षा की जा रही है । परन्तु यह मामला सुलझाने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग कर रही है । ११ मार्च, १९६४ से कबरिस्तान में युद्ध विराम कर दिया गया है । १७ मार्च को सुमेतगढ़ में भारतीय तथा पाकिस्तानी डिवीजनल कमांडरों के सम्मेलन के परिणाम-स्वरूप दोनों ओर की सेनाओं को अलग अलग कर दिया गया है तथा खाइयां, बंकर तथा अन्य प्रतिरक्षा कामों को ढा दिया गया है तथा बन्द कर दिया गया है ।

पूर्व अफ्रीका के समाचार पत्र में प्रकाशित बख्शी गुलाम मुहम्मद का कथित पत्र

***७१०. श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान बख्शी गुलाम मुहम्मद द्वारा 'ईस्ट अफ्रीका स्टैण्डर्ड', नैरोबी को लिखे गये एक कथित पत्र के बारे में २५ फरवरी, १९६४ के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह पता लगा लिया गया था और इसकी पुष्टि की गई थी कि उपरोक्त पत्र किसने लिखा था ; और

(ग) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां । सरकार ने 'ईस्ट अफ़्रीका स्टैण्डर्ड" नैरोबी में प्रकाशित कथित पत्र भी देखा है ।

(ख) कथित पत्र एक दम जाली था तथा नैरोबी में पाकिस्तानी उच्चायोग द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया था । हाल में ही ब्लिट्ज में प्रकाशित ऐसे ही पत्र को बख्शी गुलाम मुहम्मद पहले ही अस्वीकार कर चुके हैं ।

(ग) सरकार ने विदेशों में भारतीय दूतावास को ये बातें बता दी हैं जिससे पुनः जालसाजी न हो सके ।

पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत भारतीय

***७११. श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चार भारतीय राष्ट्रजनों का जिनमें दो स्त्रियां हैं, को ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के सैनिकों ने श्रीनगर समरेन्द्रगंज ट्रैक से ९ फरवरी, १९६४ को अपहरण कर लिया था और अब उनके विरुद्ध पाकिस्तानी पासपोर्ट एक्ट के अधीन पाकिस्तान में अवैध रूप से घुस आने का मुकदमा चलाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उनको वापस लाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) हमारे ढाका स्थित उप उच्चायुक्त तथा त्रिपुरा सरकार ने पूर्वपाकिस्तान सरकार को विरोध पत्र भेज दिया है । पूर्व पाकिस्तान सरकार से भी अनुरोध किया गया है कि मामले की तुरन्त जांच करें तथा भारतीय राष्ट्रजनों की सुरक्षित वापसी का प्रबन्ध करें परन्तु पत्र प्राप्ति की सूचना के अतिरिक्त अन्य कोई पत्र अभी नहीं मिला है ।

राकेट का छोड़ा जाना

***७१२.** { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हेम बरुआ : }

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ११ मार्च, १९६४ को चांदीपुर सी रेंज से पहली बार प्रतिरक्षा अनुसन्धान तथा विकास संगठन ने ऊंचा जाने वाला तीन 'स्टेज' वाला 'कम्पोजिट' राकेट छोड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो राकेट की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसके छोड़ने में कितनी सफलता मिली है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) राकेट में तीन स्टेज प्रोपैलैण्ड राकेट मोटर हैं । पहली दो स्टेज भारत में ही बनाई गई हैं जिनका डिजायन आदि प्रतिरक्षा अनुसन्धान तथा विकास संगठन में बनाया गया है । राकेट में ऐसे यन्त्र लगाये गये थे जिससे ऊंचाई के बारे में जानकारी तथा स्टेज के अलग होने के बारे में जानकारी भूमि पर भेज दी जाये । प्रतिरक्षा अनुसन्धान तथा विकास संगठन में यन्त्र तथा टेलीमीटरिंग यन्त्रों का डिजाइन बनाया गया है ।

(ग) परीक्षण सफल रहा था ।

आकाशवाणी के लिए नया ट्रांसमिटर

***७१३. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आकाशवाणी के लिये चैकोस्लोवाकिया का ट्रांसमिटर खरीदने का विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार ने इस काम के लिये समस्त विश्व से टेंडर मंगाये हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या अब तक कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(घ) क्या सरकार ने ट्रांसमिटर की खरीद तथा उसके स्थापित करने की कोई समय सूची बना ली है ?

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) और (ख). सरकार का विचार रुपया भुगतान काल देशों से सुपर हाई पावर मिनीममवेव ट्रांसमिटर खरीदने का है और इस काम के लिये सम्भरण विभाग ने विश्व से टेंडर मंगाये हैं।

(ग) टेंडर २४ मार्च, १९६४ को खुलेंगे और इनके खुलने के बाद निर्णय लिया जायेगा।

(घ) सफल टेंडरकर्त्ता की देने की शर्तों का पता लगने पर समय सूची बनाई जायेगी।

उड़ीसा में तिब्बती शरणार्थियों को बसाना

१३७९. श्री रामचन्द्र उलाका : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंजम जिले (उड़ीसा) में तिब्बती शरणार्थियों को बसाने के मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) पुनर्वास कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जमीन को खेती लायक बनाने, मकान और सड़कें बनाने, पानी की सप्लाई की व्यवस्था आदि का काम जारी है। ७५० तिब्बती शरणार्थियों को बसाया जा रहा है। १५० एकड़ जमीन में पहली फसल हो गयी है।

(ख) लगभग दो साल में।

जेपुर में ट्रांसमीटर

१३८०. श्री रामचन्द्र उलाका : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोरापुट जिला (आसाम) में जैपुर में मीडियमवेव का १० किलोवाट का एक ट्रांसमीटर स्टेशन खोलने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : जैपुर में १० किलोवाट का मीडियमवेव ट्रांसमीटर स्थापित करने का काम लगभग पूरा हो रहा है और अनुमान है कि इस वर्ष के मध्य तक वह चालू हो जायेगा।

उड़ीसा के काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति

१३८१. श्री रामचन्द्र उलाका : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९६३ को उड़ीसा में विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में अनुसूचित जातियों और अनसूचित आदित जातियों के कितने लोगों के नाम दर्ज थे ; और

(ख) उनमें से कितनों को १९६३ में रोजगार सहायता दी गयी?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख).

आवेदकों की श्रेणी	३१-१२-६३ को चालू रजिस्टर में संख्या	१९६३ में जिन्हें रोजगार दिलाया गया उनकी संख्या
अनुसूचित जातियां .	५,२६७	१,३८७
अनुसूचित आदिम जातियां .	१०,१७४	२,०९४

आंध्र में बेरोजगार तकनीकी कर्मचारी

१३८२. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९६३ को आंध्र प्रदेश के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में कितने तकनीकी कर्मचारी दर्ज थे ; और

(ख) उनमें से कितनों को १९६३ में रोजगार दिलाया गया ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) १०,४२७ ।

(ख) २,४५७ ।

ब्रिटेन में भारतीय

१३८३. { **श्री भी० प्र० यादव :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री यशपाल सिंह : }

क्या **प्रधान मंत्री** १८ नवम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय राष्ट्रजनों के सम्बन्ध में ब्रिटेन के भारतीय कर्मचारी संघ से प्राप्त ज्ञापन की सरकार ने जांच की है ;

(ख) यदि हां तो क्या निश्चय किया गया है ; और

(ग) ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रजनों की कठिनाइयां दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) जी हां ।

(ख) और (ग).जो भारतीय जाली पासपोर्ट से ब्रिटेन गए हैं उन्हें एक उचित अवधि के बाद भारतीय पासपोर्ट जारी करने का सामान्य रूप से निश्चय किया गया है ;

आकाशवाणी से हिन्दी की शिक्षा

१३८४. श्रीमती सावित्री निगम: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों में आकाशवाणी के जरिए हिन्दी सिखाने की जो योजना संकटकाल के कारण समाप्त कर दी गयी थी क्या उसे फिर चालू करने के कोई प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों में श्रोताओं के लिये हिन्दी पाठों का प्रसारण शुरू करने के प्रश्न पर तभी विचार किया जायेगा जब आकाशवाणी के कार्यक्रमों में राष्ट्रीय विकास और संकट सम्बन्धी प्रसारणों को प्रभावित करते हुए उनके लिये आवश्यक समय निकालना संभव हो सकेगा। इस बीच पिछले पाठों को दोहराने के प्रश्न पर आकाशवाणी ध्यान दे रही है ताकि उन्हें अधिक उपयोगी और प्रभावशाली बनाया जा सके।

सिरसा में विमान क्षेत्र

१३८५. श्री हरि विष्णु कामत : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी कमान के चीफ इंजीनियर ने सिरसा विमान क्षेत्र (एयर फील्ड) पंजाब के लिये अभी हाल में टेंडर मंगाये थे ;

(ख) यदि हां, तो कितने टेंडर प्राप्त हुए और किन किन लोगों ने टेंडर दिए थे?

(ग) प्रत्येक टेंडर में क्या दरें बतायी गयी थीं ;

(घ) क्या कोई टेंडर मंजूर कर लिए जाने के बाद उसमें रद्दोबदल करने की अनुमति दी गयी थी और यदि हां, तो उसके क्या कारण थें ; और

(ङ) कौन सा टेंडर अंतिम रूप से मंजूर किया गया था ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). यद्यपि टेंडर के लिये नौ फर्मों को बुलाया गया था फिर भी दो फर्मों से ही जवाब मिला। इन फर्मों ने यह दरें बतायी थीं :—

(१) श्री तेलू राम जैन—८६,६१,०४५ रुपये ७० नये पैसे।

(२) श्री सी० लाथल एण्ड कम्पनी—१०८,२१,२१६.०० रुपये।

(घ) और (ङ). टेन्डरों की छानबीन करने पर, काम की कुछ मदों के लिये कम टेंडर वाले की दरें बहुत कम समझी गयी और इसलिए वे अव्यवहारिक मानी गयीं; कुछ दूसरी मदों के लिये दरें बहुत ज्यादा समझी गयीं ; इसके अलावा, उस टेंडर में हिसाब की कुछ गलतियां पायी गयीं। इस विषय में चालू आदेशों के अनुसार, कम टेंडर वाले से पूछताछ की गयी उसने जवाब में यह सूचित किया कि उसने अपनी दरों में कुछ परिवर्तन किए हैं और उसकी सूचना उसने टेंडर पेश करने के तुरन्त बाद दे दी थी।

काम की अत्यावश्यकता को देखते हुए और इस आधार पर कि दोबारा टेंडर मंगाने से कम कीमत की बोली आने की सम्भावना बहुत कम है, सेना मुख्य कार्यालय ने यह निश्चय किया कि कम टेंडर देने वाले का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार करने के लिये मुख्य इंजीनियर को अधिकृत कर दिया जाय। कम और ऊंची दरों में तालमेल और हिसाब की गलतियां ठीक करने के बाद, मुख्य इंजीनियर ने १,००,८४,१७६ रुपये २० नए पैसे की रकम का ठेका श्री तेलू राम जैन के साथ निश्चित कर लिया।

फिर भी इस मामले की अभी छानबीन हो रही है।

बागान श्रमिकों के लिए मकान

१३८६. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या श्रम और रोजगार मंत्री २ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित

प्रश्न संख्या ८८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागान श्रमिकों के लिये राजसहायता से मकान बनाने के प्रश्न की छानबीन करने के लिये स्थापित कार्यकारी दल ने इस बीच अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ; और

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) जी हां, ।

(ख) विवरण संलग्न है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २५९६/६४]

Aerodrome near Ghaziabad

1387. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri D. C. Sharma:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the uptodate progress made in regard to the construction of the proposed aerodrome near Ghaziabad ;

(b) the area of land acquired for this purpose and the number of villages affected thereby ; and

(c) whether after the completion of this aerodrome the work of air exercises will be shifted from Palam aerodrome to the proposed aerodrome ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) The work on the construction of runway, parallel taxi-track, and certain technical buildings has already commenced. 19 %work on the runway and parallel taxi-track was completed upto the end of February 1964.

(b) About 2300 acres of land have been requisitioned thereby affecting seven villages.

(c) Yes, Sir.

हज यात्री

१३८८. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार हज यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान अनाज और खाद्य पदार्थ ले जाने की अनुमति देकर कुछ रियायतें देने वाली है ; और

(ख) यदि हां, तो उन यात्रियों को किस प्रकार की सुविधायें दी जाने वाली हैं ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). पहले की तरह भारत सरकार ने हज यात्रियों को अपनी यात्रा और सउदी अरब में निवास के दौरान अपने इस्तेमाल के लिये भारत से अनाज और खानेपीने की चीजें ले जाने की रियायतें दी हैं । उसका ब्योरा इस प्रकार है :—

अनाज

(क) लगभग ३० दिनों की दुतरफा सफर के लिये मुगल लाइन, बम्बई, नामक जहाजी कम्पनी को जो हज यात्रियों को ले जाती है, यात्रियों को पका भोजन सप्लाई करने के लिये यात्रियों की संख्या के अनुसार प्रति व्यस्क व्यक्ति के पीछे ४०० ग्राम की दर से अनाज जहाज पर ले जाने की अनुमति दी गयी है ।

(ख) हज्जाज में अपनी रिहाइश के दौरान इस्तेमाल के लिये यात्रियों को ४०० ग्राम प्रति व्यस्क प्रतिदिन के हिसाब से, उन लोगों के लिये ४ $^1/_2$ महीने के लिये जो रमजान के महीने से पहले जहाज पर सवार हो जाते हैं, और रमजान के बाद सवार होने वालों के लिये ३ महीने के लिये, अपने साथ अनाज ले जाने की अनुमति दी गयी है ।

वे नियंत्रित दर से अपनी इच्छानुसार कोई भी अनाज प्रति वयस्क प्रतिदिन ४०० ग्राम की दर से ले जा सकते हैं ।

दालें

वे अपनी यात्रा में और हज्जाज में अपनी रिहाइश के दौरान अपने इस्तेमाल के लिये उचित मात्रा में दालें ले जा सकते हैं ।

घी

रमजान से पहले रवाना होने वाले यात्रियों को प्रति व्यक्ति छ किलो और रमजान के बाद रवाना होने वाले यात्रियों को चार किलो प्रति व्यक्ति घी अपने साथ ले जाने की अनुमति दी गयी है ।

चीनी

(१) यात्रियों को हज्जाज ले जाने वाले हर जहाज को दोनों ओर की प्रत्येक यात्रा के लिये एक-एक बोरी चीनी ले जाने की अनुमति है । यह मात्रा जहाज के स्टोर के लिये निर्धारित कोटे के अलावा है ।

(२) रमजान से पहले रवाना होने वाले यात्रियों को हज्जाज में अपनी रिहायश के दौरान इस्तेमाल के लिये प्रति व्यक्ति ७ किलोग्राम और रमजान के बाद रवाना होने वाले यात्रियों को प्रति व्यक्ति ४ किलोग्राम की दर से चीनी ले जाने की अनुमति दी गयी है ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संघ संगठन

१३८९. **श्री शशि रंजन** : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संघ संगठनों की क्या संख्या है ;

(ख) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय ईसाई व्यापार संघ फेडरेशन को जिसका सदरमुकाम बुसेल्स में है, भी मान्यता दे रखी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) से (ग). अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संघों को सरकार द्वारा मान्यता देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

बर्मा में भारतीय

१३९०. **श्रीमती सावित्री निगम**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे पिछले छ वर्षों में बर्मा से कितने भारतीय राष्ट्रजनों को निकाला गया ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : बर्मा स्थित हमारे राजदूतावास के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिछले छः महीनों में बर्मा से १६ भारतीय राष्ट्रजनों को निकाला गया । हमारे दूतावास ने बर्मा सरकार से उन भारतीय राष्ट्र जनों के बारे

में, जानकारी देने की प्रार्थना की है, जिनको इस अवधि में निकाला जा सकता है परन्तु बर्मा सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

कोयला खान श्रमिकों के लिये मकान

१३६१. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष १९६३ में कोयला खान श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित विभिन्न आवास योजनाएं कौन-सी हैं और पृथक-पृथक को कितना धन आवंटित किया गया है ;

(ख) दिसम्बर, १९६३ तक इस निधि द्वारा सीधे कितने मकान बनाये गए और तीसरी योजना में निर्माण-लक्ष्य क्या है ;

(ग) वर्ष १९६३ के अन्त तक कोयला खान मालिकों द्वारा सहायता की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कितने मकान बनाये गये ; और

(घ) कोयला खान मालिकों ने निर्माण की और क्या योजनायें निधि के समक्ष अनुमोदन के लिये रखी हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क)

योजना	वर्ष १९६३-६४ में आवंटन
१. राज सहायता-एवं-ऋण योजना . .	९,८३,००० रुपये
२. अपना घर बनाओ योजना	१,००० रुपये
३. कम लागत आवास योजना . .	२२,८६,५०० रुपये
४. नयी आवास योजना .	१,३१,८९,८०० रुपये
कुल	१,६४,६०,३०० रुपये

(ख) कस्बा योजना के अन्तर्गत २१५३ मकान । कस्बा योजना के अन्तर्गत ४५० अतिरिक्त मकान बनाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ग)

योजना	बनाये गये मकानों की संख्या
१. राज सहायता योजना . . .	१६३८
२. राज सहायता-एवं-ऋण योजना . .	२०६०
३. कच्चा मकान योजना . .	२२
४. नयी आवास योजना . . .	१६४२४
५. कम लागत आवास योजना . . .	२२२५
कुल . .	२२३७०

(घ) नयी आवास योजना के अन्तर्गत ३०००० और मकान बनाने और कम लागत आवास योजना के अन्तर्गत १५००० मकान बनाने का प्रस्ताव, जिसका कोयला खान श्रम कल्याण निधि मंत्रालय समिति ने अनुमोदन कर दिया है, सरकार के विचाराधीन है।

मौजूदा टूटे फूटे मकानों (जिनकी संख्या लगभग ३०,००० है) को सुधारने और उनमें परिवर्द्धन अथवा परिवर्तन करने की योजना भी विचाराधीन है ताकि उनको कम से कम रहने लायक तो बनाया जा सके।

केन्द्रीय श्रम सेवा

१३६२. श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक केन्द्रीय श्रम सेवा बनाने का एक प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

५०५ केन्द्रीय ई० एम० ई० वर्कशाप, दिल्ली छावनी में चोरी

१३६३. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष १९६३ में ५०५ केन्द्रीय ई० एम० ई० वर्कशाप, दिल्ली छावनी से एक बैटरी चार्ज करने वाला सेट चोरी चला गया था;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गयी; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) से (ग). जी, हां। ६ फरवरी, १९६३ को ५०५ केन्द्रीय ई० एम० ई० वर्कशाप में से एक बैटरी चार्जर गुम पाया गया। इसकी जांच करने के लिये नियुक्त जांच न्यायालय ने एक जे० सी० ओ० और एक असैनिक कर्मचारी को दोषी पाया। इन व्यक्तियों के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

वार्ता निकाय

१३६४. श्री स० मो० बनर्जी: क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष १९६० की हड़ताल के बाद स्थायी वार्ता निकाय को निलम्बित कर दिया गया और अखिल भारत प्रतिरक्षा कर्मचारी फेडरेशन की बार-बार मांग के बावजूद उसको अभी तक फिर से चालू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिरक्षा और रेलवे और डाक और तार विभाग में, जहां ये निकाय अभी भी चल रहे हैं, भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(ग) इस अवधि में कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिये क्या वैकल्पिक उपाय किये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) जी, हां।

(ख) और (ग). प्रतिरक्षा कर्मचारियों के एक अन्य फेडरेशन की आवश्यकता को देखते हुए, केवल अखिल भारत प्रतिरक्षा कर्मचारी फेडरेशन के समझौते पर बनी वार्ता निकाय को फिर से चालू नहीं किया गया। इतने समय में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिये संयुक्त परामर्शदाता निकाय स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया गया और इसके गठन का प्रश्न विचाराधीन है। इस निकाय से वार्ता निकाय को चालू करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अन्तरिम उपाय के तौर पर प्रतिरक्षा मंत्रालय में सम्बन्धित मंत्री और पदाधिकारी कर्मचारी संघों के, जिसमें अखिल भारत प्रतिरक्षा कर्मचारी फेडरेशन भी शामिल है, प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते रहे हैं और उनकी समस्याओं पर विचार करते रहे हैं प्रतिरक्षा संस्थानों के मुखिया भी उचित स्तर पर मान्यता-प्राप्त कार्मिक संघों के साथ समस्याओं पर विचार करते रहे हैं।

डाक और तार विभाग में कोई औपचारिक वार्ता निकाय नहीं है। वहां पर विभिन्न स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के बीच समय-समय पर बैठक होने की पद्धति है।

रेलवे में स्थायी वार्ता निकाय योजना दो श्रमिक फेडरेशनों अर्थात् अखिल भारत रेलवे कर्मचारी फेडरेशन और भारतीय रेलवे कर्मचारियों की राष्ट्रीय फेडरेशन और इसकी लिये मान्यता प्राप्त उनके सम्बद्ध संघों के साथ हुए समझौते पर आधारित है। जुलाई, १९६० में हुई हड़ताल के फलस्वरूप अखिल भारत रेलवे कर्मचारी फेडरेशन से सम्बद्ध संघों की मान्यता समाप्त कर दी गयी इस फेडरेशन को दी गयी वार्ता सुविधा वापस ले ली गयी। अन्य फेडरेशन और इससे सम्बद्ध संघों को मान्यता जारी है और इनको वार्ता सुविधाएं प्राप्त हैं। सितम्बर, १९६१ में मान्यता फिर से दिये जाने के बाद अखिल भारत रेलवे कर्मचारी फेडरेशन और उनके संघों के साथ फिर बैठकें की गयीं।

५०५ ई० एम० ई० वर्कशाप, दिल्ली छावनी में उचित मूल्य वाली दूकानें

१३६५. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ५०५ सेन्ट्रल वर्कशाप ई० एम० ई०, दिल्ली छावनी, के अधिकारियों ने असैनिक कर्मचारियों के फायदे के लिए, स्थायी श्रम समिति के निश्चय के अनुसार, अभी तक उचित मूल्य वाली दूकान नहीं खोली है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस वर्कशाप के ३००० असैनिक कर्मचारियों को सहायता-प्राप्त दरों पर अत्यावश्यक वस्तुएं सप्लाई करने में अभी कितनी देर लगेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). इस प्रतिष्ठान में उचित मूल्य वाली दूकान खोलने की योजना की छानबीन हो रही है। कई प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में उपभोक्ता भंडार पहले से मौजूद हैं। कुछ शर्तों के अधीन, दूसरे प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में भी उपभोक्ता भंडार खोलने का निश्चय कार्यान्वित किया जा रहा है।

पोखरा जलविद्युत् परियोजना

१३६६. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल में सिंचाई और पानी सप्लाई योजनाओं और पोखरा जलविद्युत् परियोजना के निर्माण के सम्बन्ध में, जिसके लिए भारत ने धन दिया है, क्या प्रगति हुई है; और

(ख) अब तक कितनी रकम खर्च की गयी है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २५६७/६४]**.

काली पहाड़ी में न्यू घुरिक कोलियरी

१३६७. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ६ फरवरी, १९६३ को पश्चिम बंगाल के काल पहाड़ी क्षेत्र में न्यू घुरिक कोलियरी बिलकुल बंद पड़ गयी थी;

(ख) कितने कर्मचारी बेकार हुए थे;

(ग) क्या काम बन्दी क्षतिपूर्ति[1] दी गयी थी; और

(घ) यदि हां, तो कितनों को ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) जी हां, ६ फरवरी, १९६४ को सवेरे ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की चोरी के कारण।

(ख) ४०६ कर्मचारी।

(ग) और (घ). कर्मचारियों को कोई कामबन्दी क्षतिपूर्ति नहीं दी गई थी। उसके बजाय प्रबन्धकों ने ६ फरवरी, १९६४ को कर्मचारियों का विश्राम का दिवस माना और उन्हें अगले विश्राम दिवस १८ फरवरी, १९६४ को काम करने के लिए कहा।

Employment and Training

1398. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Labour and Employment** be pleased to state :

(a) whether a meeting of the Fourth Plan working group on employment and training was held on the 18th September, 1963 ; and

(b) if so, the decisions taken therein ?

Minister of Labour and Employment (Shri Sanjivayya) : (a) Yes.

(b) It was decided that the following three Sub-Groups should be set up to assist the Working Group in the preparation of its report :—

(i) *Sub-Group on Manpower*

to co-ordinate the manpower requirements of the various Ministries.

(ii) *Sub-Group on Research & Statistics*

to explore the possibilities of maximisation of employment opportunities within the framework of the Fourth Plan ; to examine the scope and nature of Employment Service Programmes and Surveys; to examine the nature and scope of statistics regarding employment

[1] Lay off compensation.

and unemployment and to examine the question of the employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(iii) *Sub-Group on Training*

to assess the training requirements of different types of craftsman, instructors, supervisors, etc., and to co-ordinate the training requirements and programmes of other Working Groups.

सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी में भविष्य निधि वसूलियां

१३९९. **श्री प० कुन्हन** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह जानते हैं कि सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी में मजूरी और बिमार खुराकी के साथ छुट्टी पर भविष्य निधि वसूलियां की जा रही हैं लेकिन वे संबंधित सदस्यों के अंशदान पत्रकों (कन्ट्रीब्यूशनकार्ड्स) में दर्ज नहीं की जातीं ;

(ख) यदि हां तो क्या कोयला खान भविष्य निधि संगठन के पदाधिकारियों ने कोई जांच की है; और

(ग) हिसाब किताब को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा योजना उपमन्त्री श्री चे० रा० (पट्टाभिरामन्) : (क) ऐसा कोई मामला सरकार की नजर में नहीं आया है ।

(ख) कोयला खान भविष्य निधि संगठन के पदाधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण करते रहते हैं ।

(ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

Journalists of the News Division of A.I.R,

1400. **Shri Kachhavaiya :**
Shri Rameshwaranand :

Will the **Minister of Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the members of the Central Information Service get gazetted holidays like other employees of Government ;

(b) if so, whether it applies to the journalists of News Division of A.I.R. also ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): (a) & (b). Yes, Sir, excepting the Central Information Service Officers working in the News Services Division of All India Radio. However, non-gazetted editorial staff in this Divsion are granted compensatory leave in lieu of attendance on gazetted holidays subject to a maximum of 8 days in a calendar year.

(c) The News Services Division of All India Radio works round the clock and the Central Information Service Officers work on shift duty.

Treaties with Foreign Countries

1401. **Shri Mohan Swarup :**
Shri Kachhavaiya :
Shri Rameshwaranand :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the number of agreements and treaties signed with foreign countries

by the various Ministries of the Government of India during the last year ; and'

(b) the number out of them which were simultaneously signed in Hindi also and the reasons for not signing the remaining in Hind as well ?

The Prime Minister, Minister of External Affairs and Minister of Atomic Energy (Shri Jawaharlal Nehru) : (a) & (b). The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Indian Envoys Aburoad

1402. **Shri Kachhavaiya :**
Shri Yogendra Jha :
Shri Rameshwaranand :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the number of Indian diplomatic representatives who presented their credentials to the foreign authorities during the least one year ;

(b) the number of credentials presented in English and Hindi respectively ; and

(c) the reasons for not presenting the English documents in Hindi ?

The Prime Minister, Minister of External Affairs and Minister of Atomic Energy (Shri Jawaharlal Nehru) : (a) During 1963, 14 Heads of Indian Diplomatic Missions presented their credentials abroad. In addition, 3 Heads of Indian Missions had to present Special Credentials on the occasion of the inauguration of New Heads of States.

(b) All the 14 credentials were presented in Hindi while the 3 special credentials were presented in English.

(c) The special credentials were prepared quickly in English for facility.

सशस्त्र सेना मुख्य कार्यालय में अपर डिवीजन क्लर्क

१४०३. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्टर सर्विसेज आर्गनाइजेशन सहित सशस्त्र सेना मुख्य कार्यालय (आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर्स) में इस समय अपर डिवीजन क्लर्क की ग्रेड में कितने अस्थायी और कार्यकारी रिक्त स्थान खाली पड़े हुए हैं ; और

(ख) ये स्थान कब से खाली पड़े हुए हैं और उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर्स और इन्टर सर्विसेज आर्गनाइजेशन में इस समय अपर डिवीजन क्लर्क के लगभग ७८० अस्थायी पद खाली पड़े हुए हैं। चूंकि लोअर डिविजन ग्रेड में वरिष्ठता स्थायीकरण संबंधी नियम विचाराधीन थे इसलिए इन खाली पदों पर भरती करना अभी तक सम्भव नहीं हुआ। ये नियम संघ लोक सेवा आयोग कीं सहमति प्राप्त करने के बाद दिसम्बर १९६३ में प्रकाशित किये गये। इन नियमों के कई उपबन्धों के विरुद्ध अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और उनकी जांच पड़ताल करनी थी। अपर डिवीजन क्लर्क के खाली अस्थायी पदों पर शीघ्र ही भरती की जायगी।

भूटान की पंचवर्षीय योजना

१४०४. { श्री राम हरख यादव :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या प्रधान मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग से विशेषज्ञों का एक दल भूटान की पंचवर्षीय योजना में संशोधन करने के लिए मई, १९६४ में भूटान भेजा जाने वाला है; और

(ख) यदि हां, तो किन विशिष्ट पहलुओं में भूटान की योजना में परिवर्तन करना आवश्यक है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) भूटान की विकास योजना को कार्यान्वित करने की दिशा में सफलता और असफलताओं का अंदाज लगाने के लिए योजना आयोग का एक दल भूटान जाने वाला है।

इस समय पंचवर्षीय योजना में परिवर्तन करने का विचार नहीं है। यदि आवश्यक हुआ तो उक्त दल के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए योजना की समीक्षा की जायगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Primary Schools in Nagar-Havelli

1405. Shri Baswant : Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1705 on the 16th December, 1963 regarding Primary Schools in Nagar-Havelli and state the number of students in each school language-wise every year since 1954 ?

The Prime Minister, Minister of External Affairs and Minister of Atomic Energy (Shri Jawaharlal Nehru) : Number of students language-wise every year since 1954 is as follows :—

Approximate Number of pupils in Government Primary Schools in Dadra and Nagar Havelli

Year	Number of pupils in Gujarati Schools (Apprx.)	Number of pupils in Marathi Schools (Apprx.)	Total (Apprx.)
1954 . . .	2482	Nil	2482
1955 . . .	2405	198	2603
1956 . . .	3087	202	3289
1957 . . .	3400	181	3581
1958 . . .	2208	404	2612
1959 . . .	2391	419	2810
1960 . . .	2148	391	2539
1961 . . .	2616	446	3062

Approximate Number of pupils in non-Government Primary Schools in Dadra and Nagar Havelli

Year	Number of pupils in Gujarati Schools (Apprx.)	Number of pupils in Marathi Schools (Apprx.)	Total (Apprx.)
1954 to 1956 .	Nil	Nil	Nil
1957 . . .	93	240	333
1958 . . .	62	182	244
1959 . . .	94	147	241
1960 . .	87	167	254
1961 . . .	84	199	283

Figures for the years 1962 to 1964 are being collected.

उड़ीसा में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में रिक्त स्थान

१४०६. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९६३ से ३१ दिसम्बर, १९६३ तक उड़ीसा में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की स्थापनाओं में कुल कितने पद अधिसूचित किए गए हैं ; और

(ख) इसी अवधि में विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों के द्वारा इन स्थापनाओं में कितने रिक्त स्थानों को भर दिया गया है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख) ।

क्षेत्र	१९६३ में अधिसूचित रिक्त स्थान संख्या	१९६३ में भरे गये रिक्त स्थानों की संख्या
१	२	३
सरकारी	३२,१४७	१८,०९८
गैर-सरकारी	७,५७८	२,३९९

बिहार में बेरोजगार महिलायें

१४०७. { **श्री धुलेश्वर मीना** :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९६३ को बिहार के विभिन्न कामदिलाऊ दफ्तरों में कितनी महिलायें (स्नातक तथा गैर-स्नातक) पंजीबद्ध हैं ; और

(ख) जुलाई से दिसम्बर, १९६३ तक इन में से कितनी महिलाओं को रोजगार सहायता दे दी गई है ;

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख) ।

श्रेणी	३१-१२-६३ को रजिस्टर में दर्ज	जुलाई-दिसम्बर, १९६३ में रोजगार दिलाये व्यक्तियों की संख्या
१	२	३
स्नातक	१३०	४
मेट्रिकुलेट तथा इंटरमीडिएट . .	१,००१	८४
मैट्रिकुलेशन से नीचे (निरक्षर समेत) . . .	५,२९४	२८६
जोड़	६,४२५	३७४

गुलबर्गा में आकाशवाणी का केन्द्र

१४०८. श्री रामपुरे : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर के गुलबर्गा जिले में एक प्रसारण केन्द्र स्थापित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब से चालू होने की संभावना है और इसकी क्षमता क्या है ?

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) आशा है कि १९६५ के मध्य से एक ट्रांसमीटर चालू हो जायेगा । इसकी क्षमता १० किलीवाट मिडियम वेव है ।

"सैनिक समाचार"

१४०९. { श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सैनिक समाचार" के विभिन्न भाषाओं के संस्करण गैर-सरकारी प्रेसों में दिये जा रहे हैं ;

(ख) इनको सरकारी प्रेस में न छापने के क्या कारण हैं ; और

(ग) नई दिल्ली में प्रचलित दरों की तुलना में उक्त प्रेस के प्रिंटिंग दर क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) यह पत्रिका ६ भाषाओं में प्रकाशित होती है और गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेस इस स्थिति में नहीं है कि इन भाषाओं में पत्रिका छाप दें ।

(ग) जब सभी भाषाओं में छापने के भाव मंगाये गये तब केवल दो प्रेसों ने भाव बताये तथा जिस प्रेस के भाव कम थे उसको ठेका दे दिया गया ।

पंजीबद्ध बेरोजगार

१४१०. { **श्री गुलशन :**
श्री य० ना० सिंह :
श्री प० ह० मलिक : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों के अधीन १९६० से १९६४ तक रोजगार के लिये कितने व्यक्तियों को पंजीबद्ध किया गया ;

(ख) उन में अनुसूचित जाति के कितने अभ्यर्थी हैं ; और

(ग) १९६० से १९६४ तक कितने अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियां दी गई ;

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी हां ।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग)

वर्ष	अनुसूचित जातियों की संख्या जिनको रोजगार दिलाया गया *		
	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अर्द्ध सरकारी संस्थापनायें तथा स्थानीय निकाय
१	२	३	४
१९६० .	११,५१७	२०,४६८	४,२३८
१९६१	१२,२९९	२५,०९७	५,५३३
१९६२	१४,९०१	२४,४७२	७,८०६
१९६३ . . .	२०,४४३	२३,४४२	८,७१७

* क्योंकि जानकारी अर्द्ध वार्षिक इकट्ठा की जाती है इसलिए १९६३ तक की जानकारी उपलब्ध है ।

अमरीका में भारतीय दूतावास

१४११. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान ६ मार्च, १९६४ के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि अमरीका में भारतीय दूतावास भवन गिर रहा है तथा मैसाचुस्टस एवेन्यू में बहुत ही बुरा दिखाई देता है ;

(ख) यदि हां, तो इस भवन की देखभाल के लिये कितना धन प्रत्येक फर्म को दिया जाता है और इसकी कितने धन से अंतिम बार मरम्मत की गई थी ; और

(ग) इस प्रतिवेदन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) (क) जी हां ।

(ख) गत चार वर्ष में दूतावास भवन पर किया गया वार्षिक धन नीचे दिया जाता है ।

१९६०–६१	अमरीकी डालर	१८७०
१९६१–६२	,,	३९८२
१९६२–६३	,,	१२२३
१९६३–६४ (आज तक) . . .	,,	३९६८

भवन की मरम्त, अंतिम बार १९५१–५३ में अमरीकी डालर १२००० कर दी गई थी ।

(ग) यह बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है । अन्य प्रशासनिक भवनों के समान ही मुख्य दूतावास का भवन कुछ कम चमकीला है और उसमें आधुनिक नये प्रकार की चमक नहीं है। आपातकाल के कारण मरम्मत आदि का क्या न्यूनतम अर्थात पूंजी का २.१५ प्रतिशत कर रखा है । रियासत में प्रकाश होने पर कर्मचारियों के लिये अधिक स्थिति में सुधार उद्धारता कर दी जायेगी ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में समितियां

१४१२. श्री दशजीत सिंह : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उनके मंत्रालय में काम कर रही समितियों और उप-समितियों की कुल संख्या क्या है ; और

(ख) इन समितियों में सदस्यों की कुल संख्या क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य उन स्थायी समितियों और उप समितियों (कार्यकारी दलों अथवा अध्ययनदलों आदि को छोड़ कर) की संख्या जानना चाहते हैं जो मंत्रालय को परामर्श देती हैं । इनकी संख्या ३९ है ।

(ख) इन समितियों में कुल ४१४ सदस्य हैं ।

रिक्त स्थानों की अनिवार्य अधिसूचना

१४१३. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टे काट्ट :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्र में बड़ी संख्या में नियोजक रिक्त स्थानों के बारे में काम दिलाऊ दफ्तर (रिक्त स्थानों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, १९५९ के अन्तर्गत अधिसूचना देने में असफल रहे हैं ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में राज्यवार ऐसी असफलताओं की क्या संख्या है ; और

(ग) इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी, नहीं ।

(ख) आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) पहला कदम यह है कि अधिनियम के उपबंधों के बारे में दोषी नियोजकों को बताया जाता है ताकि अधिनियम के उपबंधों के बारे में उन्हें जानकारी दी जा सके । लगातार दोषी पाये जाने पर उनके लेखों और दस्तावेजों की जांच की जाती है और जहां उचित होता है, कारण बताओ नोटिस जारी किये जाते हैं । इसके अतिरिक्त अधिनियम की उचित क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न राज्यों में इस अधिनियम के कार्यकरण का विशेष अध्ययन किया जा रहा है ।

पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायु सेना के विमानों को गलत रास्ता बताया जाना

१४१४. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार के हमारे अपने क्षेत्र में उड़ने वाले भारतीय वायु सेना के विमानों को रेडियो द्वारा गलत रास्ता बताये जाने के विरोध पत्र उत्तर दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या लिखा है ;

(ग) क्या इसका भी उत्तर दे दिया गया है ; और

(घ) क्या समूचे पत्र व्यवहार को सभा पटल पर रखा जायेगा ।

प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) से (घ). इस विषय पर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए पत्र व्यवहार की प्रतियां सभा पटल पर रखी जाती हैं । [पुस्तकालय में रखी गयीं । देखिये संख्या एल० टी० २५६८/६४ ।]

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं और स्थगन प्रस्तावों के बारे में

RE : CALLING ATTENTION NOTICES AND MOTIONS FOR ADJOURNMENT

अध्यक्ष महोदय : उत्तर प्रदेश के मामले से सम्बद्ध १३ ध्यान दिलाने वाले प्रस्तावों और ४ स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें मुझे प्राप्त हुई हैं। चूंकि इस मामले के लिये केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी नहीं है इसलिये मैं समझता हूं कि इस बारे में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। एक प्रस्ताव की सूचना डा० लोहिया द्वारा मेरे निवास स्थान पर दी गयी। परन्तु वही सूचना उचित रूप से दी गयी मानी जायगी जो सचिवालय को दी जायगी।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : I am sorry for that. But I have been trying to raise this question here for the last six or seven days. So many new things are happening.

Mr. Speaker : Adjournment Motion cannot be raised in this regard. But I am prepared to consider it if any hon. Member tells me that there is any Constitutional provision in regard thereto.

Dr. Ram Manohar Lohia : There are so many articles regarding this. First of all, there is concurrent list, wherein rights of the Centre and States are given. There is reference to actionable wrong.

There is no *de jure* government in U.P. at present.

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को विधान मंडल न्यायालय (बार) के समक्ष बुलाने संबंधी जो कार्यवाही हुई है, उससे संविधान के अनुच्छेद २११ का उल्लंघन होता है, और यह बात अनुच्छेद ३५५ के द्वितीय भाग के क्षेत्राधिकार में आती है।

Mr. Speaker : Whether there is constitutional Government or not, such a question cannot be raised on an Adjournment Motion.

Dr. Ram Manohar Lohia : The Central Government have some duties, especially during Emergency period. If the Central Government cannot check the contravention of the Constitution, that means it has failed......

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : I am well-informed of the incidents that have occurred in U.P.........

Mr. Speaker : I do not want to hear about the incidents. Tell me only about the legal position. You tell me if any article of the Constitution has been contravened thereby.

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : I want to draw your attention to articles 355 and 356. A Government in a state is Constitutionally constituted only so far as it has confidence of the majority.......

Mr. Speaker : This matter cannot be decided in this way.

Shri Ram Sewak Yadav : This is a related matter. Kindly give me opportunity to speak.

Mr. Speaker : It is not related to the Adjournment Motion in question. Nobody has been able to point out the article according to which the Parliament has a right to act in the matter. In the presence of Government and Legislature in the State, we have no right to act.

A notice has been received from Dr. Singhvi, by which he wants to know if any reference has been made to the Central Government and, if so, the reaction of the Government in regard thereto. I want that the Government may tell him about it, if it is in a position to do so.

श्री त्यागी (देहरादून) : एक औचित्य का प्रश्न । एक ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव की सूचना द्वारा मैं जानना चाहता था कि न्यायाधीशों को विधान-मंडल न्यायालय (बार) के समक्ष बुलाने के बारे में उत्तर प्रदेश विधान सभा ने क्या निर्णय लिया है। यह मामला गृह-मंत्रालय से सम्बद्ध है। चूंकि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश उसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। इसलिये क्या सरकार यह नहीं बता सकती कि उसका दृष्टिकोण क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि स्थिति पहले ही गम्भीर एवं पेचीदा है, अतः इसे अधिक पेचीदा न बनाया जाय। इस विषय पर यहां पर चर्चा नहीं होनी चाहिये केवल डा० सिंघवी की सूचना सुसंगत है इसलिये उस का उत्तर दे दिया जाय।

श्री त्यागी : परन्तु इस विषय में जानकारी प्राप्त करना संविधान के अनुकूल है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : उत्तर प्रदेश विधान सभा की अपनी प्रभुसत्ता के बारे में जो धारणा है, उसकी दृष्टि से क्या वह आपको और इस संसद् को भी मामले पर चर्चा के लिये तो नहीं बुला लेंगी ? मैं इस बारे में आप का संरक्षण चाहता हूं।

श्री बड़े (खारगोन) : क्या यह सच है कि केन्द्रीय मंत्री इस मामले को महान्यायवादी को निर्दिष्ट कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसीलिये तो मैं गृह-मंत्री को बुला रहा था।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : मैं भी अपनी सूचना द्वारा यही पूछना चाहता था कि केन्द्रीय सरकार इस मामले में क्या सहायता या मंत्रणा दे रही है। इसलिये उसे स्वीकार करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा तो है कि इसलिये मैं गृह-मंत्री को बुला रहा हूं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : यदि केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट नहीं भी किया गया तब भीक्या मंत्री महोदय स्वतः कार्यवाही कर रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : स्वतः कार्यवाही करने या न करने का प्रश्न भी बाद में आता है। हमें, वहां जो घटनाएं हुई, उन की सूचना मिली और हम ने कुछ पार्ट अदा करने के लिये तैयार करने के उद्देश्य से मामले को महान्यायवादी को निर्दिष्ट किया, जो इसके वैधिक परिणामों पर विचार कर रहे हैं।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : क्या अनुच्छेद १४३ के अन्तर्गत सरकार का विचार इस विषय को उच्चतम न्यायालय को निर्दिष्ट करने का है ?

अध्यक्ष महोदय : सरकार द्वारा वैधिक सलाहकारों से मंत्रणा मांगी है। पहले वह मंत्रणा प्राप्त होने दीजिये

श्री त्यागी : मैं इस विनिर्णय से सहमत नहीं हूं। अनुच्छेद २११ के अनुसार किसी राज्य के विधान मंडल में एक न्यायाधीश के आचरण संबंधी चर्चा नहीं हो सकती। मद ७८ के अनुसार यह एक केन्द्रीय विषय है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस विषय में विनिर्णय किया जाय।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ मैं ने कहा उस में कोई सन्दिग्धता नहीं है। जो बात माननीय मंत्री ने राज्य के विधान मंडल के बारे में कही है वह संसद् पर भी उसी प्रकार लागू होती है। अब प्रश्न यह है कि यदि मान लिया जाय कि राज्य में संविधान का उल्लंघन हुआ है तो हमारा उन को दोषी ठहराना क्या उचित है ? चूंकि राज्य विधान मंडल अपने अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र हैं इसलिये हमारा ऐसी कार्य-वाही करना अनुचित होगा। यदि हम कुछ कार्यवाही इस समय करते हैं तो राज्य में उस पर भी चर्चा आरम्भ हो गयी, जो बात अनुचित होगी : इसलिये मेरी मंत्रणा यही है कि माननीय सदस्य धैर्य से काम लें। पहले सरकार को मंत्रणा प्राप्त कर लेने दीजिये। फिर उस बारे में सदन में चर्चा हो सकती है।

श्री नाथ पाई : एक औचित्य का प्रश्न। क्या अनुच्छेद ३५३ द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार सरकार कार्यपालक सरकार को निदेश देगी कि वह न्यायाधीशों को गिरफ्तार कर के विधान मंडल के सामने न लाये ?

अध्यक्ष महोदय : तब तक सरकार मंत्रणा प्रकट नहीं कर लती, हक कुछ नहीं कर सकते।

श्री अ० प्र० जैन (तुमकुर) : महान्यायवादी को निर्देश किस प्रकार का किया गया है ?

श्री नन्दा : महान्यायवादी तथ्यों पर विचार करेगा। वह विधान सभा की कार्यवाही एवं उच्च न्यायालय के फैसले पर विचार करेगा। इसी के आधार पर हम सोचेंगे कि हम क्या कार्यवाही कर सकते हैं।

Shri Rameshwaranand (Karnal) : On a point of Order, Sir. If the State Governments are independent to the extent that even the centre cannot interfere in matters like this, that means if tommorrow they declare that they were independent of the Centre, they will not be liable to any action. What will the centre do if they resort to such an action ?

Mr. Speaker : I am not in a position to answar this.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय गृह-मंत्रालय को कब और किस माध्यम से सूचना प्राप्त हुई, और जो निदेश महान्यायवादी को किया गया है उस में उच्चतम न्यायालय से मंत्रणा प्राप्त करने सम्बन्धी अनुच्छेद १४३ का प्रश्न भी उठाया गया है ?

श्री नन्दा : जी हां। हमने महान्यायवादी से इस बारे में मंत्रणा मांगी है कि यदि हम उच्चतम न्यायालय को यह मामला निर्दिष्ट करें, तो क्या यह बात उचित होगी।

प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में मुझे यह कहना है कि हमें सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हुई थी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश में हुई हिंसा की घटनायें

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"बेलफरिया (पश्चिम बंगाल), राउरकेला (उड़ीसा) जमशेदपुर (बिहार), रायगढ़ (मध्य प्रदेश) और अन्य स्थानों पर हाल में हुई हिंसा की घटनायें।"

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : पहले तो २१ जनवरी तक पश्चिम बंगाल की साम्प्रदायिक स्थिति पर काबू पा लिया गया था परन्तु १६ मार्च को बेलफरिया, पश्चिम बंगाल, एक गम्भीर हिंसा की घटना हुई जिसके कारण २१ व्यक्ति मारे गये। उसी दिन चक्रधरपुर, बिहार में कुछ लूटमार की घटनायें हुईं। १६ मार्च से २२ मार्च तक जमशेदपुर क्षेत्र, बिहार, राउरकेला एवं जिलबनी, उड़ीसा, और रायगढ़ एवं धर्मजायगढ़, मध्य प्रदेश में, हिंसा की घटनायें हुई। कुछ अन्य स्थानों में भी हिंसा की छोटी-मोटी घटनायें हुईं। प्रत्येक मामले में तुरन्त ही रोक-थाम संबंधी कार्यवाही की गई राउरकेला एवं जमशेदपुर में भी २२ मार्च तक स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार गत सप्ताह में कुल २०० व्यक्ति मारे गये।

राउरकेला एवं जमशेदपुर में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के कारण ४ व्यक्ति मारे गये और २७ अन्य घायल हुए। बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां भी की गयीं। रायगढ़ एवं जमशेदपुर में मुसलमानों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। राउरकेला एवं जमशेदपुर में सेना की सहायता भी प्राप्त की गयी।

इन घटनाओं का मुख्य कारण यह था कि उन स्थानों से पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों की गाड़ियां गुजरीं, जिनकी व्यथायें सुन कर लोगों में उत्तेजना बढ़ी।

राज्य सरकारें इस समस्या की रोक थाम के लिये स्वयं सतर्क हैं और केन्द्र की ओर से भी उचित सहायता दी गयी है। संयुक्त शांति समितियां बना कर साम्प्रदायिक शांति बनाये रखने के लिये चेष्टा की जा रही है। विभिन्न कार्मिक संघों ने मिल कर, साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने संबंधी प्रयत्न करने सम्बन्धी निर्णय लिये हैं। औद्योगिक केन्द्रों में राज्य-स्तर पर त्रिदलीय समितियां बनायी जायगी जो शांति बनाये रखने के लिये कार्य करेंगी।

कुछ बुरे लोगों ने शांति भंग करने और हमारी विख्याति को चोट करने के लिये ऐसी कार्यवाहियां कीं। इन कार्यवाहियों से हमारी प्रगति में बाधा पड़ती है और प्रतिरक्षा प्रयासों में भी बाधा पड़ती है। इस बारे में हम अपनी ओर से कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। इस कार्य में विभिन्न समुदायों के नेताओं के सहयोग की भी आवश्यकता है। इस सम्बध में मैं विभिन्न दलों के नेताओं से भी मिल रहा हूं।

श्री हेम बरुआ : मुझे कुछ जानकारी प्राप्त करनी है।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : I also want a piece of information about this matter.

Mr. Speaker : It is better not to ask questions on this at this time. It won't be in the interest of our nation. Hon. Members will kindly agree with me.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : The hon. Minister has said that all sections of the people have promised to co-operate with the Government. But unless the Government have a better policy in regard to this problem that co-operation will not go far. If we discuss over this question here it will help subside the agitation in the country.

Mr. Speaker : Order, Order.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० की धारा १३ की उप-धारा ३० के अन्तर्गत आदेश

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) "मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० की धारा १३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक ५ मार्च, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४२० में प्रकाशित परिषद् चुनाव-क्षेत्रों का परिसीमन (पंजाब) संशोधन आदेश, १९६४।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २५६२/६४]

(दो) दिनांक ५ मार्च, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४२१ में प्रकाशित परिषद् चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन (मैसूर) संशोधन आदेश, १९६४।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २५६३/६४]

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं वर्तमान सत्र में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये **और राष्ट्रपति की अनुमति** प्राप्त निम्नलिखित विचार विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६४

(२) विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, १९६४

(३) विनियोग विधेयक, १९६४

(४) विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९६४

Shri Rameshwaranand : Mr. Speaker, if you want to conduct the proceedings of the House with the co-operation of all the parties, then you must allow me to speak. The law and order cannot be maintained in this way. There is widespread discontentment among the people because of the happenings in Pakistan. Pakistan wants to create such disturbances so that she

[Shri Rameshwaranand]
may be able to say that Mohammedans cannot live in India and Hindus cannot live in Pakistan...

Mr. Speaker : You may have your seat.

Shri Ram Sewak Yadav : The Members who have given notice of the Call Attention Notices must be allowed to put questions. Majority party cannot take decisions of its own accord.

Mr. Speaker : Only because an hon. Member has signed a Notice, he cannot be allowed to speak. According to the Rules, the Speaker has power to disallow discussion after a statement has been made. But I have started this practice of my own. But that does not mean that an hon. Member can claim it as a right.

गेहूं के क्षेत्र के निर्माण के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE*: CREATION OF WHEAT ZONES

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : भिन्न-भिन्न राज्यों में देसी गेहूं की सप्लाई और उस के मूल्य की स्थिति तथा चालू गेहूं की फसल की सम्भावनाओंको ध्यान में रखते हुए सरकार ने गेहूं के क्षेत्र बनाने के प्रश्न पर पुर्नविचार किया है। सरकार का विचार है कि ऐसे क्षेत्रों का बनाना आवश्यक है जिससे कि गेहूं की खपत वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गेहूं की सप्लाई बनी रहे तथा गेहूं की कमी वाले क्षेत्रों की ओर ध्यान रखा जा सके और वहां सरकार केन्द्रीय भण्डार से आयातित गेहू का वितरण कर सके। अतः यह निश्चय किया गया है कि निम्नलिखित गहूं के क्षेत्र तुरन्त ही बनाये जायें :

१. पंजाब तथा दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के संघीय क्षेत्र इस क्षेत्र से गेहुं तथा गेहूं से बने पदार्थों का निर्यात जम्मू तथा काश्मीर को किया जा सके।

२. उत्तर प्रदेश।

३. राजस्थान।

४. मध्य प्रदेश।

५. बिहार।

६. महाराष्ट्र—इस क्षेत्र में से गेहूं तथा उस से बने पदार्थों का गोवा को निर्यात किया जा सकेगा।

७. गुजरात।

८. आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर, केरल, तथा पांडिचेरी के दक्षिणी राज्य।

९. शेष बचे पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, असम, नागा लैण्ड राज्यों और त्रिपुरा तथा मनीपुर के संघीय प्रदेशों का क्षेत्र।

गेहूं तथा उस से बने पदार्थों का प्रत्येक क्षेत्र से निर्यात और उस में आयात केन्द्रीय सरकार की सहमति से राज्य सरकार द्वारा दिए गए परमिटों के बिना नहीं किया जा सकेगा। विचार यह है कि साधारणतया निजी व्यापारियों को ऐसे परमिट न दिये जायें। इस अवस्था में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को गेहूं का आना जाना केवल सरकार की ओर से या सरकार की आज्ञा से ही किया जा सकेगा।

राज्य सरकारों को क्षेत्रीय पद्धति लागू करने के लिए आवश्यक प्रबन्धक करने तथा राज्यों के बीच तस्कर व्यापार रोकने के लिए कहा गया है।

सरकार को आशा है कि इस से गेहूं की खपत के महत्वपूर्ण राज्यों में न केवल मूल्य और सप्लाई की स्थिति हो सुधरेगी बल्कि इसके द्वारा दूसरे राज्यों की आयातित गेहूं की आवश्यकताओं को पूरा करने में अधिक सहायता मिलेगी। सब राज्यों में बेलन आटा मिलों को आयातित गेहूं की सप्लाई बिना किसी कमी किए चालू रहेगी और यदि आवश्यकता हुई तो उसको बढ़ा दिया जाएगा।

श्री रंगा (चित्तूर) : क्या : इस मामले में व्यापार लाभालाभ के आधार पर होगा। अथवा राज्य सरकारों को लाभ कमाने दिया जायेगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं यह नहीं कह सकता कि यह व्यापार लाभालाभ के आधर पर होगा। मैं राज्य सरकारों द्वारा थोड़ा सा लाभ कमाने के विरोध में नहीं हूं।

श्री त्यागी (देहरादून) : अभाव की स्थिति में थोड़ा सा लाभ कमाने की अनुमति भी नहीं होनी चाहिये।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : क्या बफर स्टाक बनाने की दृष्टि से एक नया पी० एल० ४८० करार करने का विचार है, और क्या माननीय मंत्री इस प्रयोजनार्थ अमरीका जा रहे हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : पहले करार के अन्तर्गत चालू वर्ष में हम पर्याप्त मात्रा में गेहूं का आयात कर सकते हैं। यदि जून तक पहले करार के अनुसार गेहूं हमने आयात कर सके, तो उस मात्रा के आयात के लिये एक वर्ष की अवधि और बढ़ाने के लिये अमरीका से अनुरोध किया गया है।

श्री अ० प्र० जैन (तुमकुर) : वर्तमान परिस्थिति में, राज्यों को लाभ कमाने की अनुमति देना अनुचित है, चूंकि हम मूल्य कम करना चाहते हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं यह नहीं कहता कि वह आवश्यक रूप से लाभ कमायेंगी। मैं तो आशा करता हूं कि वह लाभ नहीं कमायेगी।

श्री त्यागी : हम खाद्यान्नों के सिलसिले में लाभ नहीं कमाने देंगे।

श्री स्वर्ण सिंह : राज्यों द्वारा खाद्यान्न गैर-सरकारी मूल्यों की तुलना में कम मूल्यों पर दिये जायेंगे। परन्तु यह निश्चित तौर पर कहना कठिन है कि राज्य सरकारें खाद्यान्न लाभालाभ के आधार पर देंगी।

श्री रंगा : यह एक नई नीति है। प्रधान मंत्री को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : २५ तारीख को इस मंत्रालय की मांगों पर चर्चा हो रही है। उस समय इद बातों पर विचार हो सकता है।

श्री नाथ पाई : इसका अर्थ यह है कि राज्य भी बिचौलियों की तरह काम करेंगे।

श्री स्वर्ण सिंह : हमें स्थिति को समझने का प्रयत्न करना चाहिये। यदि एक अधिक अनाज वाले राज्य से कम अनाज वाले राज्य को अनाज भेजा जाता है तो लाभ बहुत ही कम होगा . . . . .

श्री रंगा : लाभ शब्द का प्रयोग ही नहीं होना चाहिये ।

श्री स्वर्ण सिंह : भाण्डागार एवं परिवहन आदि कई मदें होती हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । परन्तु हमारा उद्देश्य लाभ कमाने का नहीं है ।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : एक राज्य दूसरे राज्य को किस मूल्य पर अनाज देगा क्या यह निर्धारित किया गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी नहीं । इस विषय पर किसी राज्य से बातचीत नहीं हुई है ।

Shri Tyagi : No profit was ever made by States in their transactions so far. This is a new policy enunciated by the hon. Minister. I feel the States should not be allowed to make any kind of profit.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या यह गेहूं खण्डों की योजना गहूं प्राप्त करने के मूल्यों से सम्बद्ध है ? और माननीय मंत्री क्यों नहीं कहते कि राज्यों द्वारा कोई लाभ नहीं कमाया जायेगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : वर्तमान स्थिति यह है कि देश के विभिन्न भागों में गेहूं सम्बन्धी आधार मूल्यों की घोषणा कर दी गई है । प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं ।

बाट तथा माप के प्रमाप (संशोधन) विधेयक

STANDARDS OF WEIGHTS AND MEASURES (AMENDMENT) BILL

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) : मैं, श्री मनुभाई शाह की ओर से, बाट तथा माप के प्रमाप अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बाट तथा माप के प्रमाप अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd,*

प्रतिरक्षा मंत्रालय— जारी

प्रतिरक्षाव मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : माननीय सदस्यों द्वारा दो प्रकार की आलोचना मुख्यतया की गयी : एक तो सामान्य प्रकार की आलोचना थी जो अंशतः राजनीतिक और अंशतः प्रतिरक्षा समस्याओं से सम्बद्ध थी, और दूसरी प्रतिरक्षा तैयारी एवं नीति के पहलूओं से सम्बद्ध थी।

माननीय सदस्यों ने कहा कि यथार्थवाद का अभाव है, प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीतियों के पुनर्नवीकरण की आवश्यकता है। यह भी कहा गया कि प्रतिरक्षा उत्पादन में आत्म-निर्भरता की बात एक खतरनाक भ्रम है। कुछ अन्य सदस्यों ने कहा कि सेवाओं के एकीकरण की आवश्यकता है। यह भी कहा गया कि हम अपनी गुटों से अलग रहने की नीति के कारण एकत्रित हो गये हैं।

पहले हम यह देखें कि हमारी उत्तरी सीमाओं पर स्थिति क्या है। गत वर्ष की अपेक्षा अब स्थिति अधिक पेचीदा हो गई है। एक नयी स्थिति चीन और पाकिस्तान के बढ़ते हुए आपसी संबंधों से उत्पन्न हुई है। इन संबंधों के परिणाम अधिक खतरनाक हो सकते हैं। गत वर्ष स्थिति यह थी कि हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि बर्फ के ढलने से हिमालय की सीमाओं पर चीन क्या कार्यवाही करता है। और जो हमारे सैनिक उन्होंने बन्दी बनाये थे उनके बारे में भी हम देख रहे थे कि वह क्या कार्यवाही करते हैं। इन परिस्थितियों में हम [illegible] के लिये तैयारी करने की योजना बना रहे थे। परन्तु आज स्थिति अधिक पेचीदा है और कुछ स्पष्ट भी हुई है। इसलिये हम समस्या को दीर्घकालीन दृष्टि से देख सकते हैं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हम देश की प्रतिरक्षा तैयारी पांच वर्षीय योजना के आधार पर कर रहे हैं।

समस्या का दीर्घकालीन हल करने का अर्थ यह नहीं है कि निकट भविष्य के लिये तैयारी नहीं की जा रही है। हमें वर्तमान खतरे का सामना करने के लिये और दीर्घकालीन खतरे का सामना करने के लिये भी तैयारी करनी है।

हमें अपनी प्रतिरक्षा तैयारी देश को उत्पन्न होने वाले खतरे को दृष्टि में रख कर करनी है। चीन अपने चारों ओर उपनिवेश बनाने की प्राचीननीति का अनुसरण कर रहा है। जब चीन ने देखा कि भारत को उपनिवेश बनाना असंभव है तो उसने भारत पर आक्रमण करके हमें नीचा दिखाने की कोशिश की। इसके अतिरिक्त चीन भारत के आर्थिक विकास को रोकना चाहता है। इसलिये हमें अपनी प्रतिरक्षा तैयारी के साथ-साथ यह भी देखना है कि हमारी आर्थिक प्रगति में कोई बाधा न आये।

चीन से पाकिस्तान की दोस्ती का अर्थ यह है कि सारी उत्तरी सीमा हमारे लिये एक समस्या बन गई है। पाकिस्तान ने पिछले कुछ महीनों में छापे मार कर युद्धविराम रेखा तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अधिक तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। हमें इन सब बातों को ध्यान में रखकर अपने देश को तैयार करना है।

[श्री यशवन्तराव चह्वाण]

हमने अपने प्रतिरक्षा कार्यक्रम में नौसेना को निम्न प्राथमिकता दी है। यह सच है कि देश की प्रतिरक्षा में नौसेना, का विशेषकर हमारे देश का लम्बा तट होने के कारण, अपना महत्व है। सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि नौसेना यथासमय एक संतुलित सेना बन जाये। हम पुराने जहाजों के स्थान पर नये जहाज लाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने देश में फ्रिगेट बनाने के लिये एक विदेशी सार्थ से बातचीत की जा रही है। अपनी नौसेना को प्रशिक्षण देने के लिये एक पनडुब्बी प्राप्त करने की कोशिश भी की जा रही है। परन्तु फिर भी हमें तीनों सेनाओं के विकास में नौसेना को सेना और वायु सेना के बाद प्राथमिकता देनी पड़ेगी।

सरकार सेना का विस्तार तथा आधुनिकीकरण करने के लिये वचनबद्ध है। इसी उद्देश्य से सरकार ने छः पर्वतीय डिवीजनों को बनाने का निर्णय किया है। अपनी सेना को और अधिक गतिशील बनाने तथा पर्वतीय इलाकों में युद्ध करने का प्रशिक्षण देने के लिये ही ये माउंटेन डिवीजनें बनाई जा रही हैं। सेना के भर्ती संगठन ने पिछले वर्ष लगभग तीन लाख जवानों तथा १०,००० अधिकारियों को भर्ती करके एक सराहनीय कार्य किया है। हमने अनिवार्य भर्ती करने के बारे में कभी भी नहीं सोचा क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारे देश के लोग स्वयं ही सेना में भर्ती होने के लिये आगे आते हैं। हमें सेना को आधुनिक हथियारों से सुसज्जित करना है अतः हमें नये हथियारों का प्रमापीकरण करना होगा और यदि आवश्यकता हुई तो उनमें सुधार भी करना होगा। हमें पर्याप्त उत्पादन व्यवस्था भी करनी होगी ताकि हमारी आवश्यकतायें पूरी हो सकें।

वायु सेना के विस्तार तथा उसे आधुनिक हथियारों तथा उपकरणों से सुसज्जित करना एक जटिल समस्या है। मैं सभा से क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दे सकता परन्तु हमने भावी खतरे को दृष्टि में रखकर अपनी वायु सेना का पर्याप्त विस्तार करने का निर्णय किया है। वायु सेना को स्थल सेना के आगे लड़ने वाली टुकड़ियों की सहायता करनी होती है, शत्रु के विमानों को रोकना होता है, सैनिक टुकड़ियों को लाने ले जाने का कार्य करना होता है और लड़ने वाली टुकड़ियों को युद्ध सामग्री पहुंचानी पड़ती है तथा संचार बनाये रखना पड़ता है। इन सब बातों को दृष्टि में रखकर हमें वायु सेना का विस्तार करना है। ग्नाट (Gnat) विमानों का देश में निर्माण हो रहा है। एफ०एफ०-२४ तथा मैक-१ (Mach I) विमानों का भी हम शीघ्र ही निर्माण करने लगेंगे। मैक-२ (MachII) विमान के लिये हम अभी उपयुक्त इंजन प्राप्त करने सफल नहीं हुए हैं। यह कहा गया है कि बहुत से विमान पुर्जों के अभाव के कारण बेकार पड़े हैं। इस स्थिति से हम तभी छुटकारा पा सकते हैं जब हम उनका निर्माण स्वयं करें।

मिग-२१ विमानों का निर्माण करने के लिये हमने तीन कारखानें स्थापित करने का निर्णय किया है। एक कारखाना विमान के ढांचों, दूसरा इंजनों तथा तीसरा इलैक्ट्रॉनिक्स का निर्माण करेगा। ये कारखाने नासिक, कोरापत तथा हैदराबाद में बनेंगे। इसके लिये एक कम्पनी बनाई गई है और यह परियोजना उसको सौंप दी गई है। रूस से परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और उसकी जांच की जा रही है। नासिक में असैनिक कार्य बड़े पैमाने पर शुरू हो गये हैं। कोरापट में भी कुछ शुरूआत की गई है। हैदराबाद में प्रारम्भिक कार्यों की जांच की जा रही है। हम इस कारखाने के लिये अपने कुशल कर्मचारियों को प्रशिक्षण

देना चाहते हैं और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये नासिक में एक प्रशिक्षण संस्था चालू कर दी गई है। कोरापट के कारखाने की आवश्यकताओं को पूरा कहने के लिये हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर में एक प्रशिक्षण संस्था खोली जा रही हैं। मिग परियोजना को रद्द करने की टाटा समिति की सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है और ऐसा करने के ठोस कारण हैं।

हमें सब से अधिक आवश्यकता ऐसे लड़ाकू विमानों की है जो प्रत्येक मौसम में काम कर सकें। हमें सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों की आवश्यकता है और हम उन्हें प्राप्त करने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। लाकहीड कम्पनी के कुछ प्रतिनिधि भारत आये थे और वे संबन्धित अधिकारियों से उनके कार्यालय में मिले थे। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है।

अब मैं कुछ बातों के बारे में की गई आलोचनाओं का उत्तर दूंगा। प्रतिरक्षा मंत्रालय ने केवल ५८ करोड़ रुपया लौटाया है जिसमें १४ करोड़ रुपया राजस्व का है और शेष ४४ करोड़ पूंजी व्यय का है। इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में लगभग दुगनी धन राशि प्रतिरक्षा कार्यों के लिये निर्धारित की गई थी। हमें प्रतिरक्षा तैयारी के लिये १०० प्रतिशत अधिक राशि व्यय करनी थी। लौटायी गयी राशि कुल स्वीकृत राशि का केवल ५ या ६ प्रतिशत है। पूंजी व्यय के ४४ करोड़ रुपयों में से ३३ अथवा ३४ करोड़ रुपये नये कारखानों की स्थापना पर खर्च किये जाने थे। इस राशि के व्यय न किये जाने का यह कारण है कि वारंगांव में छोटे हथियारों के लिये गोला बारूद बनाने का कारखाना बिदेशी सहायता न मिलने के कारण स्थापित न किया जा सका। मशीनों के आने से पहले कारखाने की इमारत बनाने पर रुपया खर्च करना उचित नहीं है। यह रुपया कुछ ऐसे कारणों से खर्च नहीं किया जा सका जो हमारी शक्ति से बाहर के थे। पुनरीक्षित अनुमानों में जो राशि रखी गई है वह वित्तीय वर्ष के अन्त तक व्यय कर दी जायेगी।

जहां तक स्थल सेना, वायु सेना तथा नौसेना के एकीकरण का प्रश्न है स्वाधीनता से पहले तीनों सेनाओं का सेनाध्यक्ष स्थल सेनाध्यक्ष समझा जाता था और सेनाओं में कड़ा एकीकरण था। परन्तु स्वतंत्रता के पश्चात् इसे जानबूझ कर बदल दिया गया है। यदि ऐसा न किया गया होता तो हमारी वायु सेना गत १०, १५ वर्षों में इतनी प्रगति न कर पाती। अतः हमारी वर्तमान व्यवस्था अधिक युक्तियुक्त तथा उत्तम है। सेनाध्यक्षों की समिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति है। यह समिति तकनीकी मामलों में सरकार को अन्तिम सलाह देती है। तीनों सेनाध्यक्षों में से वरिष्ठतम पदाधिकारी इसका सभापतित्व करता है। वह प्रमुख सैन्य संचालक (आपरेशनल हैड) के रूप में कार्य नहीं करता है; वह इंग्लैड के चीफ आफ डिफेंस स्टाफ के समान नहीं है। जब तक तीनों सेनाओं का संतुलित विकास नहीं हो जाता तब तक हम वह पद्धति नहीं अपना सकते। वर्तमान व्यवस्था में अधिक लचीलापन है और वह हमारी परिस्थितियों के अनुकूल है। परन्तु यदि अनुभव से यह पता लगा कि इसमें परिवर्तन होना चाहिये तो सरकार इसमें परिवर्तन करने में संकोच नहीं करेगी।

यह बात सही नहीं है कि पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को सेना में पर्याप्त संख्या में भर्ती नहीं किया जाता। पिछले वर्ष जो व्यक्ति भर्ती किये गये थे उनमें से १७ प्रतिशत व्यक्ति पहाड़ी इलाकों के हैं। सीमावर्ती इलाकों में स्थानीय लोगों को सैनिक प्रशिक्षण देना बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपनी सेना का विस्तार कर रहे हैं और उन्हें आधुनिक हथियारों से सुसज्जित करने जा रहे हैं अतः हमारे लिये इस समय यह संभव नहीं है कि हम सीमावर्ती इलाकों के लोगों को शस्त्र दे

188 (Ai) LS--5.

सकें, परन्तु हमारी प्रतिरक्षा तैयारी में यह बात भी सम्मिलित है कि स्थानीय लोगों की सहायता का प्रयोग किया जाये। हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को स्काउटों का प्रशिक्षण देने का कार्य प्रारम्भ किया जाने वाला है।

सैनिक सहायता कार्यक्रम दो मदों के अन्तर्गत आता है। एक नसाऊ कांफ्रेंस में स्वीकृत कार्यक्रम है और दूसरा उसके बाद का कार्यक्रम है। 'नसाऊ कार्यक्रम' के अन्तर्गत सहायता निम्न शर्तों पर मिली है : (१) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई सैनिक सहायता केवल चीनी आक्रमण का सामना करने के लिये प्रयोग में लाई जायेगी, (२) भारत सरकार संबंधित सरकारों के भारत स्थित मिशनों से सम्बद्ध प्रतिनिधियों को इन उपकरणों के प्रयोग की देख-रेख तथा पुनरीक्षण करने की सुविधा देगी; और (३) भारत सरकार संबंधित सरकारों द्वारा मांगी गईं उन वस्तुओं को लौटाने की पेशकश करेगी जो उस प्रयोजन के लिये आवश्यक नहीं हैं जिसके लिये वे प्रारम्भ में उपलब्ध की गई थीं। सरकार ने इन शर्तों को स्वीकार कर लिया है और वह उनका पालन करेगी। मैं सभा को यह बता देना चाहता हूं कि इन उपकरणों के बिना भी हम पाकिस्तान की ओर से होने वाली शरारतों से निपट सकते हैं। हम ६ पर्वतीय (माउंटेन) डिवीजन बनाने जा रहे हैं। इन पर लगभग २०० करोड़ रुपये खर्च होंगे। नसाऊ कायक्रम के अन्तर्गत हमें ३० करोड़ रुपये के उपकरण तथा गोला बारूद आदि सैनिक सामग्री दी जायेगी। हम इस सहायता के लिये सम्बन्धित देशों के आभारी हैं।

प्रतिरक्षा उत्पादन कारखानों द्वारा बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया गया है। उन कारखानों में काम करने वाले व्यक्ति इसके लिये बधाई के पात्र हैं। गत वर्ष में ८० से १०० प्रतिशत तक उत्पादन में वृद्धि हुई है। वर्तमान कारखानों के आधुनिकीकरण का कार्य तेजी से हो रहा है। सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि २६ नये उपकरणों, जिनकी हमें आवश्यकता महसूस हुई, का उत्पादन हाथ में लिया गया। अतः एक वष के अन्दर इतनी प्रगति का होना एक बहुत ही सराहनीय बात है।

विमान दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि श्री कामत के इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उनकी जांच के लिए एक संसदीय आयोग बनाया जाये। उसके लिए मंत्रिमंडल के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का निश्चय किया गया है जिसमें असैनिक उड्डयन महानिदेशक श्री काटजू, एयर वाइस मार्शल श्री अर्जुन सिंह और वाइस चीफ आफ एयर स्टाफ, सदस्य होंगे। समिति उड़ान की व्यवस्था और विनियमों, सुरक्षा, प्रशिक्षण स्तर का अध्ययन कर उपचार के उपायों की सिफारिश करेगी।

संसदीय आयोग का सुझाव न स्वीकार करने के कारण ये हैं कि एक तो इस से वायुसेना निरुत्साहित होगी जबकि वायुसेना के नौजवानों ने नेफा में बिना किसी दुर्घटना के महान कार्य किया था जिसके लिए वे श्रेय के पात्र हैं। दूसरे इस प्रकार की जांच में उड़ान सम्बन्धी बहुत विस्तृत और आवश्यक ब्योरा देना होगा और हम वायु सेना में यह मनोवृत्ति नहीं पैदा करना चाहते कि उनके काम में गलतियां निकालने का प्रयत्न किया जा रहा है जब कि उन्हें खतरा मोल लेने के लिए तैयार किया जाता है और यही प्रवृत्ति उन में जगाई जाती है।

हम ने १९५४ या १९५५ की तुलना में उड़ान के घंटे भी बढ़ा दिये हैं और उस दृष्टि से विदेश में प्रति १०,००० उड़ान के घंटों के बाद दुर्घटना की गणना की जाती है जब कि हमारे

यहां दुर्घटना की गणना उससे कम है। तो भी वायु सेना की उड़ान सम्बन्धी जो कुछ त्रुटियां हैं उनकी जांच के लिए यह समिति बनाई गयी है और वे पाकिस्तानी पारेषण केन्द्रों की बात की भी जांच करेगी।

केंटीन भंडार विभाग के सम्बन्ध में श्री त्रिवेदी ने कुछ कहा था। यह संगठन कल्याणकारी संगठन है। १९४७ में इसकी स्थापना हुई थी। इसके पास सरकार का धन नहीं होता किन्तु इसे सेवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ रियायतें दी जाती हैं जैसे आवास और परिवहन आदि की रियायतें। ये रियायतें उचित हैं। असैनिक कर्मचारियों के लिए भी इस प्रकार के अभिकरण को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि इस संगठन को भारत की समेकित निधि का अंग बना दिया जाये। इस सुझाव की जांच की जा रही है।

मैं ने प्रशिक्षण केन्द्रों और आगे के मोर्चों का दौरा किया है और सेनाओं के साहस को देख कर मुझे प्रसन्नता हुई है और आशा है कि ये लोग अपने साहस, देशभक्ति और प्रशिक्षण क्षमता से देश की रक्षा कर सकेंगे।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं जानकारी के लिए पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यह फैसला जेनरलों पर छोड़ दिया है कि मकमोहन लाइन तक सेनाएं जायें या नहीं। सेना सम्बन्धी विख्यात कहावत के अनुसार इतना गंभीर विषय जेनरलों पर नहीं छोड़ा जा सकता।

Shri Ram Sewak Yadav : Whether the Government propose to end the system of naming regiments after the names of Communities or they are adding such more regiments.

श्री फ्रेंक एन्थनी (नाम-निर्देशित—आंग्ल भारतीय) : आण्विक अनुसंधान और सैनिक परिषद् के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है :

Dr. Ram Manohar Lohia : The Hon. Minister has not said anything regarding the ratio of high officers, and the speech of the Chinese Officers at the time of handing over of the equipment captured by them that despite the fact that our men were good shots and our weapons were better we failed because of other deficiencies.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : हमारे असैनिक कर्मचारी मकमोहन लाइन तक पहुंच गये हैं और सेना के वहां जाने के बारे में सैनिक अधिकारियों को निर्णय करना है। मैं इस बारे में अवश्य पता लगाऊंगा कि सेना में छोटे अधिकारियों को पदोन्नति देने की गुंजाइश है या नहीं। हाल ही की भर्ती में २० प्रतिशत अधिकारी जे० सी० ओ० और एन० सी० ओ० से लिए गये हैं। आण्विक अनुसंधान के लिए कोई प्रयोग नहीं किये जा रहे। वह सरकार की नीति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा मांग संख्या ३ पर कटौती प्रस्ताव संख्या ६ मतदान के लिये रखा गया।

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में	२४
विपक्ष में	९६
Ayes	24
Noes	96

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या ७ और ६२ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Cut motions Nos. 7 & 62 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या ३६ मतदान के लिए रखा गया ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ—

The Lok Sabha Divided

पक्ष में २७ विपक्ष में ९९

Ayes : 27 Noes. 99

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या ३५ और ३७ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

Cut motions Nos. 35 and 37 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा शेष सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये । तथा अस्वीकृत हुए ।

All the other cut motions were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रतिरक्षा मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं ।

The following demands in respect of Ministry of Defence were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
३	प्रतिरक्षा मंत्रालय . . .	५५,४६,०००
४	प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी—सेना . .	५,३४,३१,१३,०००
५	प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी—नौ सेना . . .	२१,२१,६२,०००
६	प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी—वायुसेना . .	१,१४,२२,५८,०००
७	प्रतिरक्षा सेवायें—अक्रियाकारी	२०,०७,५०,०००
११३	प्रतिरक्षा का पूंजी परिव्यय	१,२९,२०,४२,०००

परिवहन मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब सभा परिवहन मंत्रालय की मांगों पर चर्चा और मतदान आरम्भ करेगी। जो सदस्य कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं वे उन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं।

वर्ष १९६४-६५ के लिए परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
८२	परिवहन मंत्रालय	९७,३४,०००
८३	ऋतु विज्ञान विभाग	२,४५,७८,०००
८४	केन्द्रीय सड़क निधि	४,०३,७६,०००
८५	संचार (राष्ट्रीय राजमार्ग सहित)	७,०२,५१,०००
८६	व्यापारी बेड़ा	१,१८,७४,०००
८७	प्रकाश-स्तम्भ और प्रकाश पोत	१,००,१९,०००
८८	उड्डयन	६,४५,५४,०००
८९	परिवहन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	२,८१,६८,०००
१३७	सड़कों पर पूंजी परिव्यय	५४,७३,३७,०००
१३८	पत्तनों पर पूंजी परिव्यय	२,४४,२७,०००
१३९	असैनिक उड्डयन पर पूंजी परिव्यय	४,५३,२८,०००
१४०	परिवहन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	६,३०,७५,०००

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : मैंने कटौती प्रस्ताव में प्रस्तुत किया है जिसका सम्बन्ध देश के आर्थिक विकास में सड़क परिवहन की असफलता से है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

पिछले तीन वर्ष से इस क्षेत्र में प्रत्याशित सुधार नहीं हुआ और रिपोर्ट में दिखाई गई स्थिति के अनुसार गत्यावरोध का खतरा दिखाई देता है।

प्रत्येक योजना के मध्य में आश्वासन दिया जाता है कि स्थिति नियंत्रण में रहेगी किन्तु योजना के अन्त में विपत्ति दृष्टिगोचर होती है वैसी ही संभावना तीसरी योजना के अन्त में दिखाई देती है। फरवरी, १९५९ में बजट भाषण में बताया गया था कि रेलवे की क्षमता फालतू है किन्तु १९६१ में उस आत्मतोष के कारण कई कारखाने बंद हो गये और हजारों कर्मचारियों को पद्च्यूत कर दिया गया।

तीसरी योजना के मध्य में भी रेलवे और योजना आयोग ने यही बताया था कि स्थिति नियंत्रण में है जबकि मैं पूर्व घोषणा कर सकता हूं कि १९६६ में फिर वही स्थिति होगी जो १९६१ में थी ।

राष्ट्रीय आय की वृद्धि के आधार पर १९६६–६७ में ३७.५० करोड़ टन माल का यातायात करना होगा । रेलवे की क्षमता २४.५८ करोड़ टन होगी । शेष १.३० करोड़ माल के यातायात के लिए अन्य साधनों सहित मुख्य रूप से सड़क का साधन अपर्याप्त होगा । यहां सड़कों की किस्म के साथ साथ संख्या भी कम है । यहां ०.३६ वर्ग मील में सड़क है जबकि जापान में ४.१ वर्ग मील में ।

चालू योजना में सड़क परिवहन के लिए ५९० करोड़ रुपये की राशि रखी गई है जबकि उसमें केवल ४२० करोड़ रुपया दिया गया है । रेलवे विभाग सरकार को प्रतिवर्ष १५० करोड़ रुपया देता है और उसके लिए नियत १५०० करोड़ रुपया है जो राजस्व में देय राशि के दस गुना से अधिक है । सड़क परिवहन सरकार को करों के रूप में प्रतिवर्ष २२० करोड़ रुपया देता है और न्याय की मांग तो यह है कि उसके लिए २२०० करोड़ रुपया नियत किया जाए और उसे मिलता है ४२० करोड़ रुपया ।

तीसरी योजना के अन्त में जितने माल का यातायात करना उसके लिए ६०,००० मोटर गाड़ियों की आवश्यकता है जिसके लिए प्रतिवर्ष ६४०० मोटर गाड़ियां बननी चाहियें । किन्तु पिछले तीन वर्ष में उत्पादन की प्रगति को देखते हुए यह पता लगता है ३७,००० मोटर गाड़ियों की कमी रह गई है । इसके लिए निर्यात नहीं बल्कि सरकार उत्तरदायी है क्योंकि गलत प्राथमिकताओं के कारण निर्माताओं को विदेशी मुद्रा नहीं दी गई । सरकार ने ६०,००० के लक्ष्य को कम कर के स्वयं ५४,००० कर दिया है ।

अन्तर्राज्यिक सड़क परिवहन के निर्माण से जो आशा पैदा हुई थी वह समाप्त हो गई है । उन्होंने बड़े मार्गों पर अन्तर्राज्यिक परमिट जारी करने की सिफारिश की थी जिसे लागू नहीं किया गया ।

पांच वर्ष पूर्व सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति ने जिसका सभापति होने का मुझे सौभाग्य मिला था, यह सिफारिश की थी कि कर की मात्रा नहीं बल्कि कर का सिद्धांत निर्धारित करना चाहिये ताकि मोटर गाड़ियों पर एक ही स्थान पर कर लिया जाए । तत्कालीन प्रभारी मंत्री श्री पाटिल ने इसकी सराहना की थी किन्तु उस सम्बंध में अभी तक विधान पारित क्यों नहीं किया गया ।

अन्तर्राज्यिक परिवहन विभाग जितने परमिट जारी करता है वे अपर्याप्त हैं । मंत्रि मंडल सचिवालय के आंकड़ों के अनुसार तीसरी योजना के अन्त में ४८,००० परमिटों की आवश्यकता होगी जब कि अब तक कुल यातायात के २ प्रतिशत के लिए परमिटों की सिफारिश की गई है ।

परमिट जारी करने के लिए राज्य सरकारों को सिफारिश करने की बजाय आयोग को अधिकार देना चाहिए कि वह परमिट जारी करे और उसका सभापति एक संयुक्त सचिव रखने की बजाय कोई गैर सरकारी व्यक्ति रखना चाहिये । तभी आयोग को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होगा ।

इस देश में सड़क परिवहन पर व्यय संसार में सबसे अधिक है और यदि सरकार को इस तथ्य के संबंध में सन्देह हो जैसा कि मंत्री महोदय ने राज्य परिवहन आयुक्तों के सम्मेलन में व्यक्त किया है तो उसे चाहिये कि वह इस प्रश्न को व्यावहारिक आंशिक गवेषणा राष्ट्रीय परिषद को सौंप दे । यह कर वृद्धि ५१/२ लाख गांवों के आर्थिक विकास में अवरोध है । इसका कारण यह है कि रेलवे के

मुकाबले में यह मंत्रालय कमजोर रहा है ।

परिवहन मंत्रालय ने ६ सितम्बर, १९५८ को राज्य सरकारों को परिपत्र भेजा था कि ३०० मील के अन्दर या १५० मील के व्यास के लिए रेलवे की पूर्व अनुमति के लिए परमिट न दिये जाएं । इस प्रकार एक प्रतियोगी को दूसरे प्रतियोगी का गुलाम बना दिया गया ।

१९६२ में श्री जगजीवनराम ने नासिक में कहा था कि इस परिपत्र को सारहीन समझा जाय किन्तु क्या इसे औपचारिक रूप में वापस ले लिया गया है ।

रेलवे को प्रसन्न रखने की नीति का अब भी अनुसरण किया जा रहा है । पेट्रोल ले जाने वाली लारियों के सम्बंध में अन्तर्राज्यिक परिवहन आयोग को भी रेलवे के मुकाबले मुंह की खानी पड़ी है । योजना का यह उद्देश्य है कि पैसा ऐसे कामों में लगाया जाए जिनसे अधिकाधिक विकास और सभा में यह कई बार कहा जा चुका है कि सड़क परिवहन पर खर्च किये गये प्रत्येक रुपये से रेलवे की अपेक्षा अधिक आय होती है ।

ब्रिटेन ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था किन्तु वह भी आज सड़क परिवहन को रेलवे की अपेक्षा अधिक महत्व देता है । प्रगतिशील देशों में कोयले के युग का स्थान पेट्रोल और बिजली के युग ने ले लिया है। यदि हम भी बैलगाड़ी के युग से उच्च होना चाहते हैं तो सड़क परिवहन और विमान परिवहन को प्रोत्साहन देना चाहिये । परिवहन मंत्री को अधिक साहस से काम लेना चाहिए और रेलवे के सामने झुकना नहीं चाहिये । संसद उन्हें सहायता देने के लिए तैयार है और उन्हें इस सहायता का उपयोग करना चाहिये ।

परिवहन मंत्रालय की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
८२	२	श्री प्र० के० देव	उड़ीसा में पूर्वी तटीय नहर और आंध्र प्रदेश में बकिंगघम नहर का सुधारना	१०० रुपये
८२	३	श्री प्र० के० देव	गंगा और ब्रह्मपुत्र को नहर द्वारा मिलाना	१०० रुपये
८२	५	श्री म० रु० मसानी	सड़कों तथा सड़क परिवहन का कार्य	१०० रुपये
८२	१२	श्री अ० व० राघवन	केरल में स्तम्भ का निर्माण	१०० रुपये
८२	१३	श्री अ० व० राघवन	बडागरा में प्रकाश गृह	१०० रुपये
८२	१४	श्री अ० व० राघवन	केरल में दृश्य दर्शन गाड़ी के दौरे	१०० रुपये
८२	१५	श्री अ० व० राघवन	कालीकट आदि में होटल निर्माण	१०० रुपये
८२	१६	श्री अ० व० राघवन	कालीकट के प्रस्तावित हवाई अड्डे का सर्वेक्षण	१०० रुपये
८२	१७	श्री अ० व० राघवन	पश्चिम घाट रोड पर पुलों और अन्य सड़कों का निर्माण	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
८२	१८	श्री अ० व० राघवन	कोचीन जहाज निकाय कारखाना का काम	१०० रुपये
८२	१९	श्री अ० व० राघवन	कोचीन में सूखी गोदी सुविधायें	१०० रुपये
८२	३१	श्री अ० व० राघवन	मलावार क्षेत्र के पिछड़े पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निकालना	१०० रुपये
८२	३२	श्री अ० व० राघवन	बडगारा माही नहर का काम	१०० रुपये
८२	३३	श्री अ० व० राघवन	माही में स्तम्भ की व्यवस्था	१०० रुपये
८२	३४	श्री अ० व० राघवन	माही में पर्यटक बंगला	१०० रुपये
८२	३५	श्री अ० व० राघवन	कोजीकोड आदि में छोटे जहाजों को रुकने की व्यवस्था	१०० रुपये
८२	३६	श्री पोट्टेकाट्ट	सन्ता क्रुज हवाई अड्डे पर प्रतीक्षागृह	१०० रुपये
८२	३७	श्री पोट्टेकाट्ट	कालीकट से लक्कादीव तक नियमित जहाज आने जाने का प्रबंध	१०० रुपये
८२	३८	श्री पोट्टेकाट्ट	केरल से अधिक यात्रा अभिकरण	१०० रुपये
८२	३९	श्री पोट्टेकाट्ट	कोचीन पत्तन में आवास योजना	१०० रुपये
८२	४०	श्री पोट्टेकाट्ट	कोचीन पत्तन में ऊंचे पैमाने का जलाशय	१०० रुपये
८२	४१	श्री पोट्टेकाट्ट	कोचीन में श्रम आवास योजना	१०० रुपये
८२	४२	श्री पोट्टेकाट्ट	तेल्लीचेरी स्तम्भ सम्बन्धी काम	१०० रुपये
८२	४३	श्री पोट्टेकाट्ट	पूर्व तटीय सड़क का तेल्लीचेरी नगरपालिका के बीच से जाने का काम	१०० रुपये
८२	४४	श्री पोट्टेकाट्ट	कोडूवाल्ली में पुल का निर्माण	१०० रुपये
८२	४५	श्री पोट्टेकाट्ट	तेल्लीचेरी से मैसूर तक वातानुकूलित बस	१०० रुपये
८२	४६	श्री पोट्टेकाट्ट	तेल्लीचेरी में पर्यटक बंगला	१०० रुपये
८२	४७	श्री पोट्टेकाट्ट	केरल के पहाड़ी क्षेत्रों के लिये सड़कें	१०० रुपये
८२	४८	श्री पोट्टेकाट्ट	मलाबार प्रदेश में हवाई अड्डे का काम	१०० रुपये
८२	४९	श्री पोट्टेकाट्ट	कोजीकोड में नाविक प्रशिक्षण केन्द्र	१०० रुपये
८२	५०	श्री पोट्टेकाट्ट	कोजीकोड में नाविक नियोजन कार्यालय	१०० रुपये
८२	५१	श्री पोट्टेकाट्ट	माही—वलीपटक नहर का काम	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
८२	५२	श्री पोट्टेकाट्ट	कोचीन तक कैरेवल सेवा	१०० रुपये
८५	५३	श्री रा० बरुआ	राजपथ ३७ को मजबूत करना	१०० रुपये
१३८	५४	श्री रा० बरुआ	पांडू में अन्दरूनी पत्तन को जल्दी पूरा करना	१०० रुपये
१३८	५५	श्री रा० बरुआ	विशाखापटनम को लोहा अयस्क भेजने योग्य बनाना	१०० रुपये
८५	६२	श्री ओंकारलाल बेरवा	चम्बल नदी पर कोटा में नया पुल	१०० रुपये
८५	६३	श्री ओंकारलाल बेरवा	आगरा—बम्बई सड़क पर नर्बदा नदी पर नया पुल या पुराने पुल को चौड़ा करना	१०० रुपये
८५	६४	श्री ओंकारलाल बेरवा	कोटा को शिवपुरी तथा खतौली से मिलाना	१०० रुपये
८५	६५	श्री ओंकारलाल बेरवा	महेश्वर को पर्यटक केन्द्र बनाना और कैंटीन तथा डाक बंगले का निर्माण	१०० रुपये
८५	६६	श्री ओंकारलाल बेरवा	कोटा—बम्बई सड़क को किशनगंज और नाहरगढ़ से मिलाना	१०० रुपये
८८	७८	श्री दाजी	हवाई अड्डों के कर्मचारियों के लिये सस्ती दुकानें	१०० रुपये
८८	७९	श्री दाजी	हवाई अड्डों पर कर्मचारी कैंटीनें	१०० रुपये
८८	८०	श्री दाजी	असैनिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्रों को भेजे कर्मचारियों के लिये दैनिक भत्ता	१०० रुपये
८८	८१	श्री दाजी	बम्बई आदि के स्कूलों में भोजन तथा आवास सुविधाएं	१०० रुपये
८८	८२	श्री दाजी	असैनिक उड्डयन कर्मचारियों के अतिरिक्त काम भत्ते की दरें	१०० रुपये
८८	८३	श्री दाजी	अर्ध-स्थायी प्रमाणपत्र	१०० रुपये
८८	८४	श्री दाजी	विमान नौवहन और संचार विमान यातायात सेवाओं के कर्मचारियों के वेतन क्रम बढ़ाना और काम की स्थिति को सुधारना	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
८८	८५	श्री दाजी	अराजपत्रित कर्मचारियों के लिये हवाई अड्डे पर सस्ते दामों वाले प्रतीक्षा गृह	१०० रुपये
८८	८६	श्री दाजी	भरती नियमों का प्रकाशन और पदोन्नति नीति में परिवर्तन	१०० रुपये
८८	८७	श्री दाजी	अराजपत्रित कर्मचारियों को स्थायी बनाना	१०० रुपये
८८	८८	श्री दाजी	चौकीदारों और सफाई कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त काम का भत्ता	१०० रुपये
८८	८९	श्री दाजी	रात्रि कार्य के लिये अधिक भत्ता देना	१०० रुपये
८८	९०	श्री दाजी	असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों को मकान और नगर प्रतिकर भत्ता	१०० रुपये
८८	९१	श्री दाजी	असैनिक उड्डयन विभाग के सब कर्मचारियों को ऋण देने में असफलता	१०० रुपये
८८	९२	श्री दाजी	कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर विचार करने में विलम्ब को रोकना	१०० रुपये
८८	९३	श्री दाजी	अनुसूचिवीय पदों की संख्या वृद्धि	१०० रुपये
८८	९४	श्री दाजी	एक खण्ड से दूसरे खण्ड में कर्मचारियों का तबादला	१०० रुपये
८८	९५	श्री दाजी	अनुसूचिवीय कर्मचारियों को उनके निवासस्थान पर बदलना	१०० रुपये
८९	९९	श्री दाजी	पर्यटन विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों का स्थायीकरण न होना	१०० रुपये
८९	१००	श्री दाजी	अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के लिये रिक्त स्थानों पर स्थायी न करना	१०० रुपये
८९	१०१	श्री दाजी	पर्यटन विभाग में चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को स्थायी न करना	१०० रुपये
८९	१०२	श्री दाजी	पर्यटन विभाग में पैकरों के पदों का न भरा जाना	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
८६	१०३	श्री दाजी	कार्मिक संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों का उत्तर न दिया जाना	१०० रुपये
८६	१०४	श्री दाजी	पर्यटन विभाग में अनुसूचिवीय द्वितीय श्रेणी अराजपत्रित पदों की भरती और पदोन्नति के नियमों का न बनाया जाना	१०० रुपये

उपाध्यक्ष महोदय : ये सब कटौती प्रस्ताव सभा के सामने प्रस्तुत हैं ।

Shri Raghunath Singh (Varanasi): I congratulate the Minister for shipping for additional tonnage of 2 lakhs, taking brave stands on International freight war, and for deciding in favour of forty per cent participation for foreign shipping companies.

But I criticise that out of 80 crores of rupee of freight for PL. 480, India earned nothing. According to last year's decision we should have earned 40 crores. The whole situation of shipping being unsatisfactory, has to be viewed and we shall have to make intensive efforts to improve it. We had to carry cent per cent shipping in coastal trade and 50% in overseas trade. But we have not been able to complete our India. We are spending valuable foreign exchange worth Rs. 135 crores on shipping. This position is alarming and minister should pay attention towards it.

India is 4th in the matter of shipping and our Import & export trade went from 793 crores to 1700 crores. But we did not benefit. For 50% overseas trade we should have 30 lakhs tonnes shipping capacity. Our capacity is 12 lakhs only. The circumstances are in our favour because foreign ships are laid up, we should pay attention to benefit from the situation.

It is a matter of concern that we are not able to carry even one per cent shipping of the world, although our share in trade is 2 per cent we shall have to enhance our tonnage capacity to achieve the target so that we may have to spend foreign exchange.

The need of enlarging and developing our shipping capacity need not be over-emphasised. We should take all possible steps necessary for its development. We can follow the example set up by the West Germany. If any unaccounted money is invested in shipping we need not enquire into its source we should also exempt shipping from income tax and Corporation tax as has been done in some other countries. In fact, we should consider shipping as our second line of Defence and do whatever feasible, to strengthen it. It is seen that small countries like Denmark, Germany. Sweden and Norway have achieved great success in the field of shipping. If India makes sincere efforts, it is sure that we will be able to make progress. I shall urge upon the Govt. to extend facilities of grants and loans on long term basis, for the development of shipping. The rate of interest should be cheaper.

It is strange that we have invested only about 6 crores of rupees in the Hindustan shipyard from which we expect manufacture of ships for our requirements. But we have spent Rs. 160 crores including foreign exchange worth Rs. 110 crores we have been able to manufacture only 28 ships. If we had invested a portion of the money spent on purchase of ships, on the Hindustan shipyard, we would certainly have progressed and the shipyard should give better results, with that amount another shipyard could be constructed and money saved from going out of the country.

The question of setting up another shipyard has been hanging on fire since long, we should try to collaborate with Japan in this connection, with a view to augment our shipping capacity we should raise capacity of visakhapatnam shipyard to 40 thousand tones, and of Cochin shipyard to one lakh tones. We should also see that a shipyard with capacity of 60 thousand tons capacity is set up in Goa. In this way we shall have quota of 2 lakh tons fulfilled.

We should have a good continental liner going upto Marseilles to carry tourism. Because we are short of good passenger ships, we lose money in terms of traffic, we should promote tourism and for that we should have a liner.

Condition of our ports is not good and does not compare favourably with ports of other advanced countries. There is lack of many sorts of facilities. We should therefore develop them suitably and ensure that our ships are not allowed to stay there unnecessarily.

We should open centres for seamen in Singapore, Aden, Tokio and Ceylone. The seamen in our register should be Indian national. Such rules should be framed. In view of difficulties of foreign exchange, we should develop our shipping. With these words I hope from the minister that he will take sincere steps in the matter.

श्री दाजी (इन्दौर): परिवहन मंत्रालय का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक होने के कारण सभी पहलुओं पर मैं अपने विचार नहीं प्रस्तुत कर सकता। केवल कुछ बातों को ही लूंगा ।

सड़क परिवहन के मामले में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच समन्वय का अभाव है और कोई समुचित नीति नहीं अपनाई गई। पंचवर्षीय योजनाओं में सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण करने का विचार था तथा राज्यों में परिवहन निगम बनाने का विचार किया गया है । परन्तु खेद है कि इस दिशा में राज्यों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और केन्द्र ने जो धन इस काम के लिये आवंटित किया था, वह व्यपगत हो गया है । केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य है कि वह सड़क परिवहन के राष्ट्रीयकरण और परिवहन निगम बनाने के कार्यक्रमों को सख्ती के साथ क्रियान्वित करे और राज्यों को इस काम में आगे बढ़ाने के लिये कहे। सरकार इस मामले में असफल रही है और अपने भाई भतीजे का पक्षपात करने में ही लगी रही है । यही असफलता का कारण है । सरकार अपनी नीति को कार्य रूप में परिणत करने का प्रयत्न करे।

विश्व बैंक मिशन के द्वारा एक तरफा निर्देश निबंधनों को बढाने क्यों दिया गया और किसी भी स्तर पर परिवहन समन्वय समिति से परामर्श क्यों नहीं किया गया । विश्व बैंक ने क्यों अपनी मर्जी से अपने कर्मचारी और शर्तें तथा निबंध न चुने। मा० मंत्री को इन सब बातों का स्पष्टीकरण करना चाहिये । ये बात साधारण नहीं हैं । इनकी गम्भीरता को अनुभव करना चाहिये और उचित कार्रवाई की जानी चाहिये। क्या मा० मंत्री इन बातों की ओर ध्यान देंगे और देखेंगे कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न होने पाये। ।

सरकार को मोटर गाड़ी करारोपण योजना में समुचित सुधार करना चाहिये, और मोटर गाड़ियों द्वारा जो भार ढोया जाता है, उन की यात्रा के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय करना चाहिये। मोटर गाड़ियों के करारोपण तथा ढोये जाने वाले माल की मात्रा की वर्तमान स्थिति संतोषजनक नहीं है।

पर्यटन के बारे में सरकार ने यह जो निर्णय किया है कि होटल बनाने के मामले में विदेशी पूंजी भारत में लगाने दी जाएगी ठीक नहीं है। यह वित्त मंत्री की नीति तथा आज तक की नीति के प्रतिकूल है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये, क्योंकि इसका भारत के होटल उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

बाल्केार के भाग जाने और बाद में उस से उत्पन्न स्थिति के कारण भारत को शर्मिन्दा होना पड़ा। यह बड़ी बुरी स्थिति है। मा० मंत्री को जांच कर के बताना चाहिये कि इस समूची घटना के लिये कौन उत्तरदायी है और हमें प्रयत्न करना चाहिये तथा ऐसा प्रबंध हमारे हवाई अड्डों पर सुरक्षा का करना चाहिये कि भविष्य में ऐसी कोई घटना दुहराई न जा सके।

देश में विमान दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, यह चिन्ता का विषय है। इन दुर्घटनाओं की जांच असैनिक उड्डयन विभाग से असंबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिये, जो समूचे मामले में स्वतंत्र रूप से फैसला कर सकें और ठीक कारणों को जांच सकें, क्योंकि संबंधित विभाग अपनी त्रुटियों को नहीं देख सकता। इसकी त्रुटियां का पता तो अन्य विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप में ही लगाया जा सकता है।

असैनिक उड्डयन बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। काफी देश इस से अछूता पड़ा है। भिलाई से बैलाडिला तक कोई हवाई अड्डा ही नहीं है। भोपाल जैसे राजधानी स्थान भी हवाई रास्ते से मिले हुए नहीं हैं। हवाई सेवा की व्यवस्था ठीक नहीं है। दो एक शब्द कर्मचारियों की हालत के बारे में भी कहना चाहता हूं। इसी समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करवाने के लिये ही मैं ने कई कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। चालन कर्मचारियों को भत्ता नहीं मिलता जो कि अन्य सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। यह बड़े ही अन्याय की बात है।

वैसे भी कर्मचारियों को कोई सुविधायें प्राप्त नहीं हैं। दूसरे वेतन आयोग ने अधिक समय के भत्ते की सिफारिश की थी, उसे भी कार्यान्वित नहीं किया गया। मेरा निवेदन है कि सरकार को इस बारे में तनिक अधिक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए।

नौवहन के बारे में सरकार बड़ी ही विचित्र नीति अपना रही है। ४५० रुपये यह जहाजों के मालिकों को किराये भाड़े के देती है, परन्तु नौवहन सेवा के विकास के लिए कुछ भी नहीं करती। श्री रघुनाथ सिंह ने इस बारे में अच्छा वित्रण दिया है। अशर्फियां लूटे, कोयलों पर मोहर वाली बात है। मेरे विचार में नौवहन के प्रति इस दृष्टिकोण को राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता। इस से हमें काफी हानि हो रही है। हम करोड़ों रुपयों के विदेशी विनिमय से वंचित हो रहे हैं।

इस बार यूरोप के सम्मेलन में दरों के मामले में सरकार को काफी मुंह की खानी पड़ी है। दर तो उसे स्वीकार नहीं थे, परन्तु जिस ढंग से इस मामले को निपटाया गया वह बहुत ही

गलत था। जो हम चाहते थे वह हमें प्राप्त न हो सका। हमें हानि हुई और हमें अधिक दर देने पड़े । और यह शिकायत भी बनी रही कि सम्मेलन ने हमारे साथ न्याय नहीं किया। हम पुरानी प्रणाली को अपनाते ही क्यों हैं। कोई कारण नहीं है कि हम अब तक भाड़ा दरों के सम्बन्ध में सम्मेलन की ब्रिटिश प्रणाली पर कायम रहें । मेरा निवेदन यह है कि हमें अपनी नीति को बदल कर अन्तर्राष्ट्रीय नौवहन में अपनी स्वतंत्र स्थिति का निर्माण करना चाहिए।

इसके बाद मैं पत्तनों की ओर आता हूं। इस दिशा में सारा मामला अस्त व्यस्त पड़ा है । परस्पर समन्वय नहीं हो पा रहा, हरेक अपने ही हित को देख रहा है । अतः पत्तनों का विकास नहीं हो पा रहा है । मेरा निवेदन है कि जब तक इस मामले में कार्यवाही के लिए कोई केन्द्रीय संगठन नहीं बनाया जाता, हम पत्तनों का विकास करने में असमर्थ रहेंगे । सारे मंत्रालय को नये दृष्टिकोण से समस्यायें हल करने का यत्न करना चाहिए। हम काफी पीछे रह गये हैं।

श्री स० चं० सामन्त (तामलुक) : पत्तनों के बारे में कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है। मुझे इस बात का हर्ष है कि भारतीय पत्तन अधिनियम में संशोधन कर दिया गया और इस वर्ष मारमोगो पत्तन को मुख्य पत्तन घोषित कर दिया गया है । निर्यात की दृष्टि से ऐसा किया जाना ठीक ही है। जैसे जैसे देश में उद्योगों का विकास हो रहा है पत्तनों पर काम बढ़ रहा है। मंत्रालय से कुछ भी सम्भव हो सकता है किया जा रहा है। हमें कलकत्ता और विशाखापटनम पत्तनों की कठिनाइयों का काफी ज्ञान है। प्रयत्न किया जा रहा है कि इन कठिनाइयों को दूर करके जैसे भी हो आगे के लिए अच्छे काम की व्यवस्था की जाय। कलकत्ते को अपेक्षा के अनुसार विकसित नहीं किया जा सका। यह सम्भव नहीं है। अतः कलकत्ते के पास ही एक छोटी बन्दरगाह हल्दिया पत्तन का विकास किया जा रहा है। इस पत्तन का विकास करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से १४ करोड़ रुपये के विदेशी विनिमय की मांग की है यदि विदेशी विनिमय प्राप्त न हुआ तो इस व्यय के लिए माननीय मंत्री महोदय को अन्य साधन भी देखने चाहिये ।

हल्दिया के आस पास रहने वाले लोगों की कठिनाइयां मैंने मंत्री महोदय के समक्ष रखी है। जिन लोगों की भूमि अर्जित की गई है उन्हें मुआवजा तो दिया गया है परन्तु भूमि की उचित कीमत नहीं लगाई गई । मेरा निवेदन है कि हल्दिया बन्दरगाह के विकास के सम्बन्ध में जिन लोगों की भूमि अर्जित की गई थी उन्हें उनकी ली हुई भूमि के बदले में उचित प्रतिकर दिया जाये। यदि आवश्यक हो तो उन लोगों के प्रति न्याय करने की दृष्टि से सम्बन्धित भूमि अर्जन अधिनियम में यथोचित संशोधन किया जाये। २०० एकड़ की उस भूमि को विकसित करने के लिए, जिस पर विस्थापित व्यक्तियों को बसाये जाने का विचार है, जितना धन व्यय किया जायेगा उसका कुछ भाग राज्य सरकार भी वहन करेगी। क्योंकि यह इस पर ८ लाख रुपये खर्च होंगे। उन लोगों के पास इतना सामर्थ्य नहीं कि यह खर्चा कर सकें।

[**डा० सरोजिनी महिषी** पीठासीन हुई]
[DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

केन्द्रीय सरकार ने ५० प्रतिशत विकास का व्यय वहन करना स्वीकार कर लिया है हर्ष की बात है कि कोई न कोई हल निकालने का प्रयत्न किया जा रहा है । इसके लिए यदि संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता भी हुई तो कर लेनी चाहिये।

हल्दिया पत्तन का नाम बदलने के बारे में जो पश्चिमी बंगाल सरकार का सुझाव है उसका मैं समर्थन करता हूं। पश्चिमी बंगाल सरकार ने इस दिशा में जो कारण बताये हैं उनके आधार बड़े ठोस हैं। अतः मेरा केन्द्रीय सरकार से यह निवेदन है कि उन पर विचार किया जाये। हल्दिया पत्तन की क्षमताएं बहुत अधिक होंगी और इसके बहुत अच्छी प्रकार से विकसित हो जाने की पूरी सम्भावनाएं हैं। अतः मेरा निवेदन है कि पश्चिमी बंगाल सरकार के सुझाव अनुसार हल्दिया बन्दरगाह का नाम बदल कर ताम्रलिप्त बन्दरगाह रख दिया जाये।

श्री ब्रजपाल सिंह--कोटा (झालावाड़): मैं परिवहन मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। हमारे सुदूरपूर्व के आकशीय क्षेत्र में विशुद्ध जेट युग का आविर्भाव करने के लिए मंत्री महोदय और इंडिन एयर लाइन्स कारपोरेशन बधाई के पात्र हैं। यह कारपोरेशन जिसका बेड़ा बी० ओ० ए० सी० के बेड़े से भी बड़ा है इस बात के उपरान्त भी कि इसे आधुनिक वैमानिक सहायता की उपलब्धि नहीं है, काफी अच्छा काम कर रहा है। सुरक्षा का रिकार्ड भी बहुत अच्छा है। संधारण कर्मचारियों का कार्य भी अच्छा है। तथापि यह कहा जाना आवश्यक है कि कुल मिला कर जो स्थान संधारण कार्य के लिए हमारे पास है वे अपेक्षित स्तर के नहीं हैं। इस बात के सम्बन्ध में जांच की जाये। एयर इंडिया ने विश्व की एक सर्वोत्तम एयर-लाइन्स होने के नाते ख्याति प्राप्त की है। आशा है कि हम इस ख्याति को बनाये रखेंगे।

हमारे प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आग बुझाने की व्यवस्था बिल्कुल अपर्याप्त है। कीमती विमानों की सुरक्षा के इस महत्वपूर्ण पहलू पर भी ध्यान दिया जाये। जहां तक यांत्रिक अवतरण पद्धति और भूमि से विपेलण की जाने वाली रडार मार्ग पद्धति का सम्बन्ध है हमारे प्रमुख हवाई अड्डों पर अब भी इनका अभाव है। आशा थी कि हवाई अड्डों पर इस निदेश देने वाली और मार्ग प्रदर्शन करनेवाली पद्धति को लागू करने के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराई जायेगी जिससे खराब मौसम के कारण जन-हानि न हो। बम्बई जैसे हवाई अड्डों पर रडार चौकसी और यांत्रिक अवतरण पद्धति पूरे २४ घण्टे काम करती रहनी चाहिये।

सरकार को चाहिये कि बनिहाल में खराब मौसम की पूर्व चेतावनी देने वाली पद्धति की व्यवस्था करे जिससे काश्मीर जाने वाले विमान बनिहाल से लौट कर वापिस न आयें और यात्रियों को असुविधा न हो। हमारे पास कम से कम प्रमुख हवाई अड्डों पर जहां से इस समय जेट विमान उड़ते हैं यांत्रिक धावनपथ "स्वीपर्स" होने चाहिये। खेद का विषय है कि हमारे हवाई अड्डों के 'त्रिमिनल्स' की हालत विशेषतः पालम टर्मिनल पर अत्यन्त शोचनीय है। इस समय दिल्ली से मद्रास जाने वाले कैरावल्ह विमानों के ४० प्रतिशत स्थान भरे होते हैं और ६० प्रतिशत खाली। इस सम्बन्ध में कुछ किया जाना चाहिये।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : Rajasthan has been totally ignored in the demands for grants of the Ministry of Transport and Communications. Though the Minister himself belongs to Rajasthan.

First of all I would like to say something regarding air serivice. Our air service has been very unsatisfactory. We cannot say much about it. Chinese and Pakistani spies freely fly over our aerodromes, but our C.I.D. is not able to trace them. I submit that the security measures should be tightened so that aerodromes may be protected from the activities of the agents of China.

[Shri Onkar Lal Berwa]

and Pakistan. We should also try to make air travel very safe so that the chances of the accidents may be very rare. Our air service should be equipped with adequate technical staff. This staff should be very handsomely paid. In the last three years 13 members of the staff have resigned from their service. We should call back our trained engineers from abroad.

Our air service should be extended in M.P. uptil Kotah. It goes uptil Panna and Jaipur, so I think there is no difficulty in extending it to Kotah. It will also prove to be a great encouragement to tourism. It is also very necessary that good hotel arrangements should also be provided at that place for the service of tourists. There should also be some good hotels for the benefit of the tourists belonging to the middle class.

I would also like to submit that the progress in the construction of bridges on some of the important inter-State routes was slow. The bridge on the Chambal in Kotah should be rebuilt with a view to ensure un-interrupted goods and passenger traffic on the Delhi—Kotah—Bombay highway. Government should give liberal grants for the construction of such roads. It has been stated on behalf of the Government that a committee will be appointed to look after such programmes. I think a Committee should be appointed to evolve an integrated plan for the road development of the country.

Under the third Five Year plan Rs. 8 crores have been provided in order to give facilities to the tourists. Out of that amount Rs. 3½ crores will be spent by the Central Government. In 1963 the number of tourist was 140,821 while this number in 1962 was 1,34,360. Nothing has been done by the state Governments in this connection. I may also state Agra and other two three places should not remain the centres of tourists. Rajasthan had a number of such places of great historic importance which can be developed into good centres for the tourists. Places connected with the life of national heroes like Shivaji and Rana Pratap should also be developed as centres of tourists' interest. Tourists guides should necessarily know Hindi language, so that they may be able to cater the needs of the tourists from within our own country. It is good, as has been stated by the Minister that some guides also are well-versed in foreign languages like Spanish, German and French other than English.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*)]

All possible vigilance should be taken to improve the transport arrangements between Assam and Bengal. And Pakistani nationals employed in our shipping services should be replaced by our own people. Shipping should also be encouraged. As far as Delhi Transport service is concerned I am sorry to state that there were 3620 road accidents in a year. The D.T.U. buses are responsible for that. These incidents should be reduced. The satisfactory improvement ought to have been done in this connection. The number of the buses should be increased. If it is not possible then the private buses should be allowed to ply on certain routes. I would also urge that Janat Hotel should be started in Delhi in order to cater the needs of the middle-class tourists who daily come to Delhi in very large number.

श्री टे० सुब्रह्मण्यम (बेल्लारी) : आपात काल की स्थिति तथा सीमित साधनों के होते हुये भी इस मंत्रालय ने चालू वर्ष में बहुत ही शानदार काम किया है। इसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। देश में औद्योगिक प्रगति तब ही हो सकती है जब कि उसके परिवहन

साधनों का पूर्ण प्रयोग किया जाये। रेलवे, सड़क, हवाई तथा नदी सभी परिवहनों को प्रयोग में लाया जाता है। न्योगी समिति के आधार पर हमें जो अवसर प्राप्त हुआ था वह हमने खो दिया। मेरा निवेदन है कि इस समय इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि परिवहन के अनेक साधनों का समन्वय करने के लिए उपाय किये जाने चाहिये। इसलिये कि इन साधनों का पूर्ण रूप से उपयोग किया जा सके। इस दिशा में, दीर्घकालीन नीति बनाने की बड़ी आवश्यकता है।

इस संदर्भ में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैसूर में शोलापुर—भीतल दुर्ग सड़क जल्दी से बनाई जानी चाहिए। होसपेट से गदाग तक भी सड़क बनाई जानी चाहिये। इस दृष्टि से कि सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण पूर्ण रूप से सफल सिद्ध हो, सरकार को सरकारी उपक्रमों की आय और व्यय के बारे में विभिन्न राज्यों से जानकारी मांगनी चाहिये। उनमें से लाभ होना चाहिये और वह लाभ पुनः उसी उद्योग में लगा दिया जाना चाहिये।

परिवहन अनुसन्धान के बारे में, मेरा कहना यह है कि परिवहन अनुसंधान निदेशालय को कुछ अनुसंधान करना चाहिये ताकि देश में रेलवे गाड़ियों तथा परिवहन का कुछ सुधार हो। मंगलौर पत्तन के विकास का काम शीघ्र पूरा किया जाना चाहिये। कारवाड़ और बेलूकेकी जैसी अन्य पत्तनों का भी विकास किया जाना चाहिये।

परिवहन के सम्बन्ध में यह बात उल्लेखनीय है कि पर्यटन के मामले में संयुक्त अरब गणराज्य जैसे देशों ने बहुत ही शानदार प्रगति की है। हमें उनके उदाहरण को अपने सामने रखना चाहिये। मेरा सुझाव यह है कि एक पर्यटक विकास परिषद् बनाई जानी चाहिये जो कि राष्ट्रीय आधार पर हो, ताकि व्यापक आधार पर पर्यटन का देश में काफी विकास तथा विस्तार हो सके। हम्पी तुंगभद्रा बांध और रामनद्रुग में मिलायें जाने चाहिये और इन स्थानों को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित किया जाय।

श्री जसवन्त मेहता (भावनगर): परिवहन मंत्रालय बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है। इस संकट के काल में जब अपनी दोनों ओर की सीमाओं पर खतरा था, मंत्रालय का कार्य बड़ा ही महत्वपूर्ण था। इस दिशा में दोष केवल इतना ही रहा है कि मंत्रालय परिवहन के विभिन्न साधनों का समन्वय करने में असफल रहा है। पता चला है कि इस कार्य के लिए बनाई गई समिति से श्री नियोगी ने त्यागपत्र दे दिया है। सरकार को यह बता देना चाहिये कि वह अपनी समन्वय नीति को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगायेगी। इस मंत्रालय की सफलताओं को पूर्ण नहीं कहा जा सकता।

इसी समस्या से लगे हुए और भी प्रश्न हैं। कोई एक रूप कराधान नीति ही नहीं है। इस दिशा से जो कर प्राप्त होता है, उसे सड़क विकास पर खर्च नहीं किया जाता। इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि सरकार को चाहिये कि इस मामले की पूरी जांच करके एक निश्चित नीति निर्धारित करे। मेरी यह भी धारणा है कि सड़क विकास के मामले में क्षेत्रीय सन्तुलन नहीं रखा गया। पिछड़े हुए क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। अतः गुजरात जैसे राज्यों को जो नागपुर योजना की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, प्राथमिकता दी जाय। राजस्थान और कच्छ में सीमांत पर सड़कें निर्माण करने की सब से बड़ी सम्भावना है।

[श्री जसवन्त मेहता]

देश की प्रगति में छोटे पत्तनों के अंशदान को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता । उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है । अतः उनके विकास की ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिये । बन्दरगाह के गोदी कर्मचारियों की हालत अच्छी नहीं अतः उन मजदूरों के लिए तत्काल मजूरी बोर्ड की स्थापना की जाय । इसी तरह "एयर इंडिया" के कर्मचारियों की भी शिकायतें दूर की जानी चाहिये । उन के लिये जो कुछ सम्भव हो किया जाना चाहिये ।

Shri Shree Narain Das(Darbhanga): The transport occupies an important place in the economy of any country. We aere in a developing stage therefore it is very essential to look towards the transport, for our needs in this connection are not adequately met. It is also true that our main transport so far has been railways. This is true that railways are doing satisfactory progress but keeping in view of the rising tempo of our industrial and agricultural production, we should pay the requisite attention to the problems of Transport. If we compare our transport system with that of other advanced countries, we find our system is far from satisfactory. It is possible to go into the details.

Looking to the comprehensiveness of this problem, I feel that Central Road Fund which was created about 20 to 25 years before, is not sufficient. My submission is that All India Rural Communication Fund should be set up, out of the present duty of fifteen annas per gallon of Motor Spirit, at least seven annas per gallon should be contributed to that Fund. There should be separate Funds for road development both at the Centre and in the States. Road development should also be done in the rural areas. This arrangement should also be made that money thus deposited in those Funds should be non-lapsable so that they could be utilize from year to year. Annual budget allocations should have no effect in this matter.

I would also like to urge that the missing links as well as important Bridges should be provided on the national highways. There should be coordination between various systems of transport. It is really very sad that adequate attention is not being paid to the development of inland water transport. I would impress upon the Minister that the recommendations of the Gokhale Committee should be implemented. The Government should tell the House whether the Ganga Brahmputra Board had served the purpose for which it was set up.

Shri Kachhavaiya : Deputy Speaker Sir, there is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि चार बार घंटी बजाये जाने पर भी गण-पूर्ति नहीं हुई, अतः सदन कल ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होता है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, मार्च २४, १९६४/चैत्र ४, १८८६ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, March 24, 1964/Chaitra 4, 1886 (Saka).

GMGIPND—LS III—188(Ai) LS—15-6-64—600